[2022] 15 एस. सी. आर 1

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

वी.

राजकुमार नागपाल और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5247)

30 अगस्त, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सूर्या कान्ट और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993-कंपनी अधिनियम 1956 धारा 391 (ओं. 230 समान प्रावधान, वर्तमान कानून)

कंपनी अधिनियम 2013-एसएस। 1 (4) , 430 - ऋणों की वसूली-समाधान योजना ऋणपत्र धारक-ऋणपत्र न्यास विलेख-रिलायंस

कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आर. सी. एफ. एल.) ने विभिन्न व्यक्तियों को गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी किए विस्त्रा आई. टी. सी. एल. ऋणपत्र था।

न्यासी-आर. सी. एफ. एल. ने 4 मार्च, 2019 को डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत चूक की-7 जून, 2019 को एक आर. बी. आई. परिपत्र में प्रावधान किया गया कि कुछ ऋणदाता मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत उनके लिए उपलब्ध समाधान रणनीति का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें समाधान योजना में प्रवेश करना या वसूली या दिवालिया होने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है। इसके बाद, एस. ई. बी. आई. ने 13 अक्टूबर को एक परिपत्र जारी किया -

2020 सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं द्वारा चूक के मामले में डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मानकीकरण प्रदान करना-डिबेंचर धारकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया

न्यायालय, आर. सी. एफ. एल. द्वारा देय राशि के संबंध में अपने हितों की सुरक्षा के लिए-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि सभी संबंधित पक्षों को एक बातचीत से समझौता करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जिसके अनुसार, समाधान योजना के तहत पुनर्भुगतान की शर्तों को अंतर-लेनदार समझौते (आई. सी. ए.) के तहत तैयार किया गया था और कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था-एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 13 अक्टूबर 2020 के एस. ई. बी. आई. परिपत्र को पूर्वव्यापी रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और डिबेंचर ट्रस्ट डीड को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है-इसने डिबेंचर ट्रस्टी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड के संदर्भ में सभी डिबेंचर धारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया और एस. ई. बी. आई. परिपत्र किसी भी डिबेंचर ट्रस्ट डीड की स्पष्ट शर्तों को ओवरराइड नहीं करेगा-एस. ई. बी. आई. ने एकल को चुनौती दी

और 15 नवंबर 2021 को डिवीजन बेंच के समक्ष उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा कि SEBI का परिपत्र लागू नहीं होगा।

13 अक्टूबर 2020 से पहले किए गए चूक के लिए पूर्वव्यापी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस निर्णय से व्यथित होकर एस. ई. बी. आई. ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया-(i) क्या डिबेंचर धारकों और अन्य पक्षों को इसकी आवश्यकता थी -

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के तहत प्रक्रिया का पालन करें (ii) क्या दीवानी न्यायालय को इस मामले में आई. एस. पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करना ही जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने का एकमात्र मार्ग है-इसके अलावा चूक की घटना के अनुसार आई. सी. ए. को अनिवार्य करने वाले खंड की अनुपस्थिति, खंड 6.5। 3 एस. ई. बी. आई. परिपत्र

यह स्वीकार करता है कि डिबेंचर धारक (डिबेंचर न्यासियों के माध्यम से) एस. ई. बी. आई. परिपत्र में विचार किए गए कार्यों के अलावा भी कार्रवाई कर सकते हैं-हालाँकि, यदि डिबेंचर धारक ऐसा करने का विकल्प चुनता है

एक समाधान योजना को लागू करें जिसमें ऋणदाता पक्षकार हों, उन्हें ऐसा एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में करना चाहिए-एस. ई. बी. आई. परिपत्र आर. बी. आई. परिपत्र के संदर्भ में जारी किया गया था-आर. बी. आई. परिपत्र और एस. ई. बी. आई. परिपत्र दोनों एक ही आई. सी. ए. और समाधान योजना का उल्लेख करते हैं-यह एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 4 से स्पष्ट है-जब एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू हुआ, तो यह

उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जिनके तहत डिबेंचर धारक (डिबेंचर न्यासियों के माध्यम से) इस समाधान योजना तक पहुंच सकते हैं और आई. सी. ए. के माध्यम से इसके निर्माण में भाग ले सकते हैं-आई. सी. ए. और समाधान योजना अटूट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बाद वाले की उत्पत्ति पहले में है, और उससे प्रवाहित होती है-एस. ई. बी. आई. परिपत्र में आई. सी. ए. का कोई भी संदर्भ भी आवश्यक रूप से समाधान योजना का संदर्भ है और इसके विपरीत एस. ई. बी. आई. परिपत्र में यह अनिवार्य नहीं है कि

जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में आई. सी. ए. का निष्पादन, यह उस स्थिति में एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जब डिबेंचर धारक ऋणदाताओं के साथ समाधान योजना को लागू करने का मार्ग चुनते हैं-इस प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है-जहां तक दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, धारा 15 वाई में प्रतिबंध वर्तमान मामले में मुकदमे के खिलाफ काम नहीं करेगा-इसी तरह, कंपनी अधिनियम 2013 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को आर. बी. आई. परिपत्र को चुनौती देने पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निहित नहीं करता है-इसलिए,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 430 में प्रतिबंध आकर्षित नहीं होता है।

एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993-कंपनी अधिनियम 1956 धारा 391 (ओं. 230 समान प्रावधान, वर्तमान कानून)

कंपनी अधिनियम 2013-एसएस। 1 (4) , 430 -एस. ई. बी. आई. परिपत्र 13 अक्टूबर 2020 का प्रतिगामी आवेदन-आयोजितः

तत्काल मामले में, आर. सी. एफ. एल. ने भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v जारी किया। राजकुमार नागपाल

ऋणपत्रों का अस्तित्व और एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी होने से पहले ऋणपत्र धारकों को भुगतान में चूक-हालांकि, 13 अक्टूबर 2020 (जिस तारीख को एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू हुआ) तक, आर. सी. एफ. एल. द्वारा देय ऋण के पुनर्गठन पर कोई समझौता या समझौता मौजूद नहीं था-ऋणपत्र धारकों को आर. सी. एफ. एल. के ऋण के समाधान के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया था-ऋण का अस्तित्व और आर. सी. एफ. एल. द्वारा बाद में चूक उन घटनाओं की स्थिति थी, जो 13 अक्टूबर 2020 से पहले मौजूद थीं-एक बार जब यह लागू हुआ, तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र निम्नलिखित तरीके से लागू हुआः

ऋण का समाधान, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है।

शब्द/वाक्यांश-पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी-चर्चा की गई।

पकड़नाः

दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है

1. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 वाई में कहा गया है कि किसी भी दीवानी अदालत को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

सबसे पहले वादी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी। इसलिए, धारा 15 वाई में प्रतिबंध काम नहीं करेगा। वर्तमान मामले में मुकदमे के खिलाफ। इसी तरह, कंपनी अधिनियम की धारा 430 में प्रावधान है कि किसी भी दीवानी अदालत के पास नहीं होगा

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे पर विचार करने की अधिकारिता। कंपनी अधिनियम 2013 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को आर. बी. आई. परिपत्र को चुनौती देने पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है। इसलिए, धारा 430 में प्रतिबंध आकर्षित नहीं होता है। [पारस 65-66] [43-E-H]

यदि डिबेंचर धारक एक समाधान योजना को लागू करना चाहते हैं, जिसमें ऋणदाता एक पक्ष हैं, तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू होता है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. एस. ई. बी. आई. परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि

आई. सी. ए. जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने का एकमात्र मार्ग है। चूक की घटना के अनुसार आई. सी. ए. को अनिवार्य करने वाले खंड की अनुपस्थिति के अलावा, खंड 6.5। 3 एस. ई. बी. आई.

परिपत्र इस बात को मान्यता देता है कि डिबेंचर धारक (डिबेंचर न्यासियों के माध्यम से) एस. ई. बी. आई. परिपत्र में विचार किए गए कार्यों के अलावा भी कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि, यदि डिबेंचर धारक एक समाधान योजना को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, जिसमें ऋणदाता पक्षकार हैं, तो उन्हें एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में ऐसा करना चाहिए। [पैरा 68] [44-बी-सी] 3. एस. ई. बी. आई. परिपत्र आर. बी. आई. परिपत्र के संदर्भ में जारी किया गया था; यह निष्पादन के लिए शर्तों को निर्दिष्ट नहीं करता है

एक स्वतंत्र आई. सी. ए. या समाधान योजना जो आई. सी. ए. और आर. बी. आई. परिपत्र के तहत समाधान योजना से अलग है। आर. बी. आई. परिपत्र और एस. ई. बी. आई. परिपत्र दोनों एक ही आई. सी. ए. और समाधान योजना का उल्लेख करते हैं। यह एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 4 से स्पष्ट है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करके, एस. ई. बी. आई. ने आर. बी. आई. परिपत्र के समग्र ढांचे की सदस्यता ली और ऋणपत्र धारकों को इसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी।

एक समाधान योजना में प्रवेश करने के लिए आर. बी. आई. परिपत्र। आरबीआइ के अधीन

न्यासी) इस समाधान योजना तक पहुँच सकते हैं और आई. सी. ए. के माध्यम से इसके निर्माण में भाग ले सकते हैं। आई. सी. ए. और समाधान योजना अटूट रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और उत्तरार्द्ध की उत्पत्ति पूर्व में है, और इससे प्रवाहित होती है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र में आई. सी. ए. का कोई भी संदर्भ आवश्यक रूप से समाधान योजना का भी संदर्भ है। और इसके विपरीत। डिबेंचर धारकों के लिए समाधान योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए यह खुला नहीं है

आई. सी. ए. के माध्यम से इसकी उत्पत्ति में शामिल। कहने के लिए केवल एक ही "द्वार" है, जिसके माध्यम से डिबेंचर धारक ऋणदाताओं के साथ समाधान योजना में प्रवेश कर सकते हैं और वह आईसीए के माध्यम से है। इसलिए, जबकि एस. ई. बी. आई. परिपत्र अनिवार्य नहीं करता है

जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने के एकमात्र मार्ग के रूप में आई. सी. ए. का निष्पादन, यह उस स्थिति में एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जब डिबेंचर धारक भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को लागू करने का मार्ग चुनते हैं।

राजकुमार नागपाल

ऋणदाताओं के साथ समाधान योजना। यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है

अव्यवस्थित। [पारस 72-74] [45-C, G-H; 46-A-B, C; 47-F-G]

4. असहमत लेनदारों के पास धारा के संदर्भ में किए गए समझौते या व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प नहीं होता है। 230 कम्पनी अधिनियम। इसी तरह, असहमत ऋणदाताओं के पास भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के तहत आईसीए/समाधान योजना से बाहर निकलने का विकल्प नहीं है। 25 इन कानूनों में से प्रत्येक में प्रदान किए गए संबंधित बहुमत असहमत लेनदारों को बाध्य करते हैं। इसी तर्ज पर एस. ई. बी. आई. का परिपत्र असहमत डिबेंचर धारकों को बाध्य करता है। वास्तव में, एस. ई. बी. आई. का परिपत्र असहमत डिबेंचर धारकों को भी बाध्य कर सकता है।

अन्य कानूनों में समान प्रावधानों का अभाव। [पैरा 78] [49-ए बी]

एस. ई. बी. आई. परिपत्र का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है।

5. वर्तमान मामले में, आर. सी. एफ. एल. ने ऋणपत्र जारी किए और

एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करने से पहले डिबेंचर धारकों को भुगतान करने में चूक। हालांकि, 13 अक्टूबर 2020 (जिस तारीख को एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू हुआ) तक, बकाया ऋण के पुनर्गठन पर एक समझौता या समझौता। आर. सी. एफ. एल. मौजूद नहीं था। डिबेंचर धारकों को आर. सी. एफ. एल. के ऋण के समाधान के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ऋण का अस्तित्व और आर. सी. एफ. एल. द्वारा बाद में चूक घटनाओं की स्थिति थी, जो 13 अक्टूबर 2020 से पहले मौजूद थी। एक बार जब यह लागू हो गया, तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र ऋण के समाधान के तरीके पर लागू हुआ, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। [पैरा 84] [51-डी-ई]

6. एस. ई. बी. आई. परिपत्र आंशिक रूप से जारी किया गया था

1993 के विनियमों के तहत शक्तियाँ। इसके अलावा, 1993 के विनियमों का विनियम 15 (7) एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों की नींव रखता है। इस प्रकार, खंड 59 में "[1993 विनियमों के प्रावधानों" वाक्यांश को एस. ई. बी. आई. परिपत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्ट डीड की पांचवीं अनुसूची के खंड 22 और 23 स्पष्ट रूप से एस. ई. बी. आई. परिपत्र के साथ टकराव में हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक अलग-अलग मतदान तंत्र प्रदान करता है।

इसलिए, खंड 22 और 23 को एस. ई. बी. आई. परिपत्र को रास्ता देना चाहिए, जो प्राथमिकता लेगा। [पैरा 86] [52-ए-बी] [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग

संविधान

7. छोटे निवेशक, विशेष रूप से वे जिनका निवेश बढ़ा है

आई. एन. आर. 10 लाख तक, अपनी मूल राशि के 100% की सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं। यहां तक कि डिबेंचर धारक जिनका एक्सपोजर है

10 लाख से अधिक अपने मूलधन का 29.96% प्राप्त कर रहे हैं।

राशि। इसकी तुलना में, सुरक्षित आई. सी. ए. ऋणदाताओं को उनकी मूल राशि का 24.96% प्राप्त होगा, जो डिबेंचर धारकों द्वारा की गई वसूली से कम है। यह भी रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी डिबेंचर धारक ने कोई शिकायत नहीं की है

प्रस्तावित समझौते के संबंध में। ऐसी स्थिति में, यदि यह न्यायालय वर्तमान मामले में हुई कार्रवाई के पूरे पाठ्यक्रम को उलट देता है, तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र का आवेदन, हालांकि कानूनी रूप से सही है, खुदरा डिबेंचर धारकों के लिए अन्यायपूर्ण परिणाम का कारण बन सकता है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

इस मामले में, यह न्यायालय, के अनुच्छेद 142 को ध्यान में रखते हुए

भारत का संविधान, अधिकारों के संभावित इनकार को कम करने के लिए उपयुक्त निर्देश निर्धारित करता है। [पारस 88 और 90] [52-जी; 53-ए-बी, डी]

9. उल्लेखनीय है कि एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में केवल दो स्थितियों पर विचार किया गया है जहां आई. एस. आई. एन.-वार मतदान अनिवार्य हैः ((i) नहीं

प्रतिभूति का प्रवर्तन; और (ii) आई. सी. ए. में प्रवेश करना। यद्यपि यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, यह स्वीकार किया जाता है कि एक

परिदृश्य जहां डिबेंचर धारक आई. सी. ए. को पूर्व कार्योत्तर सहमति दे सकते हैं, जो कि 13 अक्टूबर 2020 को एस. ई. बी. आई. परिपत्र के प्रारंभ से पहले सहमत थे। वर्तमान मामले में,

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के लागू होने से एक ऐसा परिदृश्य पैदा होगा जहां आर. बी. आई. ढांचे के तहत आई. सी. ए. ऋणदाताओं द्वारा वैध रूप से सहमत समाधान योजना को अलग करना होगा। इस कारण से, हम अनुच्छेद 142 के तहत लाभ का विस्तार करना आवश्यक मानते हैं।

वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत राहत को ढालने के निर्देश। न्यायालय उन प्रस्तुतियों को स्वीकार करता है जिन पर एस. ई. बी. आई. द्वारा आग्रह किया गया है और एस. ई. बी. आई. की खंड पीठ द्वारा रखी गई व्याख्या को अस्वीकार करता है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय।

अपील भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v है। राजकुमार नागपाल

आंशिक रूप से अनुमति, ऊपर जारी निर्देशों के अधीन संविधान का अनुच्छेद 142। [पारस 94 और 99] [55-ए-सी; 56-डी]

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा (2020) 9 एससीसी 1 27;

स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) v. संघ का

भारत (2005) 7 एससीसी 584: [2005] 3 पूरक। एससीआर 200;

राज्य वी। कल्याण सिंह (2017) 7 एससीसी 444: [2017] 6

एस. सी. आर. 946; लक्ष्मीदास मोरारजी बनाम। बेहरोज दराब मदन

(2009) 10 एससीसी 425 [2009] 14 एस. सी. आर. 777 निर्दिष्ट को।

मामला कानून संदर्भ

[2020] (9) एस. सी. सी. 27

पै

रा 82

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 पूरक। एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पै

रा 83

[2017] 6 एससीआर 946

पै

रा 91

संदर्भित किया गया है

[2009] 14 एससीआर 777

पै

रा 92

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5247

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 21.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की वाणिज्यिक अपील (एल) No.27370 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., जायेश के. अशर, धवल मेहरोत्रा,

अभिषेक सिंह, सूरज चौधरी, सुधांशु सिक्का, चंद्रशेखर भारती, मेसर्स। के. अशर एंड कंपनी, एड. अपीलार्थी के लिए।

डेरियस जे. खंबाटा, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। महेश

अग्रवाल, प्रतीक सेक्सरिया, एम. एस. अनंत, दिव्यांशु श्रीवास्तव, करण रुखाना, रोहन तलवार, सुबीर कुमार, सुश्री दिशा शाह, करण वर्मा, सुश्री दीपसिखा मिश्रा, अर्चित जैन, यश छेड़ा, निशांत चोटानी, ई. सी. अग्रवाल, योहान लिमाथवाला, अंगद बख्शी, धीरज नायर, राहुल सांगवान, शिवज्ञानम के., सुश्री टिन अब्राहम, अक्षय पुरी, सैयद जफर आलम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री की तालिका *

तथ्य।

... . 4

ए.

विवाद

..... 4

आई.

* एड। ध्यान दें: सामग्री की तालिका में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा

ii.

विवादित फैसला

iii.

मुद्दे प्रस्तुतियाँ।

संविदात्मक व्यवस्थाओं का अवलोकन

डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स।

आई.

डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा उठाए गए कदम

ii.

(विस्तार)

संकल्प के आसपास कानून का विकास

ऋणों से।

आई.

ऋण के समाधान के लिए रूपरेखा

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत।

आर. बी. आई. का 6 जुलाई 2019 का परिपत्र और

ii.

इसके बाद कानूनी ढांचा।

एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम

iii.

1993 .....

iv. 13 अक्टूबर 2020 का एस. ई. बी. आई. का परिपत्र

और उसके बाद कानूनी ढांचा।

एस. ई. बी. आई. का परिपत्रः सारांश और

ए।

प्रभाव

आईएसआईएन स्तर पर मतदान।

बी।

एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में एक वैधानिक प्रावधान है।

सी।

चरित्र।

विश्लेषण करें।

दीवानी अदालत के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है

आई.

अधिकार क्षेत्र।

ii.

यदि डिबेंचर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया v लागू होता है तो SEBI परिपत्र लागू होता है।

राजकुमार नागपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारक एक समाधान योजना को लागू करना चाहते हैं

जो ऋणदाता एक पक्ष हैं

..... 49

.....

iii.

आई. सी. ए./समाधान योजना द्वारा बाध्य। 54

एस. ई. बी. आई. परिपत्र का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है।

iv.

56

अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग

वी.

142 संविधान का

..... 59

.....

वर्तमान में असंतुष्ट डिबेंचर धारक

vi.

... . 63

मामला।

ए. तथ्य

आई. विवाद

1. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड 1 गैर-परिवर्तनीय जारी किया गया

विभिन्न व्यक्तियों को ऋणपत्र। 2 विस्त्रा आई. टी. सी. एल. (इंडिया) लिमिटेड तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स दिनांक 3 मई 2017,23 मई 2017 के तहत डिबेंचर ट्रस्टी 3 थी और 5 फरवरी आर. सी. एफ. एल. ने मार्च 2019 में डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के तहत अपनी पहली चूक की थी।

2. 7 जून 2019 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किया।

(दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निर्देश 2019, "दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र मान्यता, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से"। 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में प्रावधान किया गया है कि कुछ ऋणदाता मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत उनके लिए उपलब्ध समाधान रणनीति का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें समाधान योजना में प्रवेश करना या वसूली या दिवालिया होने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है। यदि ऋणदाता एक समाधान योजना को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें एक अंतर-लेनदार समझौता करने की आवश्यकता होती है। 8 बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य ऋणदाता

1 "आरसीएफएल"

" डिबेंचर धारकों "

4 " डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स या डिबेंचर ट्रस्ट डीड 5 "आर. बी. आई. परिपत्र" 6 खंड 4, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र।

7 " समाधान योजना "

"

आईसीए "[2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. सी. एफ. एल. ने आर. बी. आई. परिपत्र के अनुसार 6 जुलाई 2019 को आई. सी. ए. में प्रवेश किया। बैंक ऑफ बड़ौदा को बाद में आई. सी. ए. के तहत प्रमुख बैंक के रूप में नियुक्त किया गया।

3. आर. बी. आई. का परिपत्र बैंकों और निर्दिष्ट श्रेणियों पर लागू होता है -

ऋणदाता। अन्य निवेशक इसके दायरे से बाहर थे। एस. ई. बी. आई. ने 13 अक्टूबर 2020 को एक परिपत्र जारी किया। विषय था 'सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं द्वारा' चूक 'के मामले में डिबेंचर न्यासियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मानकीकरण'। 11 मार्च 2021 को, आर. सी. एफ. एल. और विस्त्रा ने एक पूरक डिबेंचर ट्रस्ट डीड को निष्पादित करके डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स में संशोधन किया, जिसने एस. ई. बी. आई. के परिपत्र पर ध्यान दिया। 15 जुलाई 2021 को, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को आरसीएफएल के ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ii. बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा

4. सत्रह डिबेंचर धारकों ने 1 जुलाई 2021 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एक मुकदमा दायर किया। डिबेंचर धारक

आर. सी. एफ. एल. द्वारा देय राशि के संबंध में उनके हितों की सुरक्षा के लिए मुकदमा दायर किया गया। आर. सी. एफ. एल. को सबसे पहले शामिल किया गया था।

मुक़दमे के लिए प्रतिवादी। डिबेंचर धारकों ने आग्रह किया कि विस्त्रा, जिसे तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, को अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे। डिबेंचर धारकों ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे प्रतिवादी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास उपलब्ध कुछ निधियों को 'सुरक्षित' या 'असुरक्षित' लेनदारों के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखे बिना लेनदारों के बीच वितरित किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह उनकी सहमति के बिना किया गया था और आर. सी. एफ. एल. की प्राप्तियों पर उनका पहला प्रभार था। डिबेंचर धारकों ने आरोप लगाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र ने धन के इस "अवैध" वितरण की अनुमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि आर. सी. एफ. एल., बैंक ऑफ बड़ौदा और विस्त्रा आई. सी. ए. या समाधान योजना के लिए डिबेंचर धारकों से पूर्व कार्योत्तर सहमति नहीं ले सकते। उन्होंने आग्रह किया कि यह

विस्त्रा के लिए डिबेंचर धारकों की ओर से आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

समाधान योजना पर विचार करने से पहले। उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे में वादियों ने आर. बी. आई. परिपत्र को अवैध और अधिकार से बाहर बताते हुए खारिज करने की मांग की। उन्होंने आर. सी. एफ. एल., बैंक ऑफ बड़ौदा और आर. बी. आई. को आर. बी. आई. परिपत्र को लागू करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की भी मांग की।

5. 20 अगस्त 2021 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. एस. पटेल ने प्रथम दृष्टया राय दी कि डिबेंचर धारकों की एक बैठक थी

आवश्यकता है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि वह उस तरीके की सिफारिश नहीं कर सकता है जिसमें डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाई जानी चाहिए।

9 " एस. ई. बी. आई. परिपत्र "

10 " ऑथम "भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 3. प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि एक बैठक या संभवतः बैठकें ऋणपत्र धारकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विख्वा जिस प्रश्न का सामना कर रहे हैं, वह उन शर्तों से संबंधित है जिन पर ऐसी बैठक बुलाई जानी है। श्री अनखाद बताते हैं कि एक विकल्प यह है कि इसके अनुसार आगे बढ़ना है

आईएसआईएन श्रृंखला। दूसरा इसके अनुसार आगे बढ़ना है

डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स। तीन अलग-अलग डिबेंचर ट्रस्ट डीड हैं। पहला विकल्प खुद की सराहना नहीं करता है। निश्चित रूप से यह श्रृंखला

इस तरह की स्थिति में डिबेंचरों का कोई महत्व नहीं है। 4. एक और समस्या जो खुद को प्रस्तुत करती है वह है कटौती या

आवश्यक सूचना का संक्षिप्त नाम जो आवश्यक है।

5. दोनों पहलू, प्रथम दृष्टया, वे नहीं हैं जिन पर यह न्यायालय एक सिफारिश कर सकता है, एक दीवानी न्यायालय से किसी नियामक के निर्णय की शुद्धता या अन्यथा या किसी नियम या विनियमन की वैधता पर निर्णय लेने के लिए कहना एक बात है। लेकिन मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि एक दीवानी न्यायालय कैसे निर्देश दे सकता है कि न्यास विलेख या लागू विनियमन द्वारा आवश्यक नोटिस को छोटा किया जाना चाहिए या सभी डिबेंचर धारकों की बैठक एक विशेष तरीके से दूसरे की वरीयता पर आयोजित की जानी चाहिए। ये हैं दिशा निर्देश

कि केवल एक नियामक जारी कर सकता है। "

6. अदालत ने कहा कि विख्वा ने 11 अगस्त 2021 को बैठक आयोजित करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। एस. ई. बी. आई. को विख्वा के प्रतिनिधित्व का "प्राथमिकता और अत्यंत आवश्यक आधार" पर जवाब देने का निर्देश दिया। एस. ई. बी. आई. ने इस अभ्यावेदन के जवाब में 23 अगस्त 21 को एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। स्पष्टीकरण पत्र में एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993 के विनियम 15 (7) का उल्लेख किया गया है।

डी. एस. ई. बी. आई. परिपत्र और स्पष्ट किया कि मतदान करना होगा एस. ई. बी. आई. परिपत्र के अनुसार निर्धारित। प्रासंगिक उद्धरण

यह पत्र इस प्रकार हैः

" 5. डी. टी. विनियम के विनियम 15 (7) को ध्यान में रखते हुए एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 3,6,6 और 7 में कहा गया है कि डी. टी. के लिए अंतर-लेनदार समझौते (आई. सी. ए.) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

संकल्प पर विचार करने से पहले डिबेंचर धारकों की ओर से

आई. सी. ए. की कार्यवाही के परिणामस्वरूप लागू करने की योजना।

7. एस. ई. बी. आई. को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 17 सितंबर 21 को एकल न्यायाधीश ने डिबेंचर धारकों को शामिल होने की अनुमति दे दी।

' 1993 विनियम "[2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में एस. ई. बी. आई. ने कहा कि ऋणपत्र न्यासी चूक के मामले में इसके परिपत्र का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा प्रतिबद्ध, भले ही चूक की घटना इसके परिपत्र के जारी होने से पहले हुई हो।

8. 14 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 को, एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि सभी संबंधित पक्ष बातचीत से समझौता करें।

9. तैयार की गई समाधान योजना के तहत पुनर्भुगतान की शर्तें

आई. सी. ए. के तहत और कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित निम्नानुसार हैं:

6 तारीख को ऋण

% में से

नं.

श्री. नहीं।

विशिष्टताएँ

पुनर्प्राप्ति

(रु.)

पुनर्प्राप्ति

जुलाई 2019 (रु.)

1 आई. सी. ए. ऋणदाता

1, 893.47

सुरक्षित है।

1.1

19

7, 586.05

24.96

1

640.00

20.32

असुरक्षित

130.02

2 गैर-आईसीए ऋणदाता

62.40

250.00

24.96

सुरक्षित सावधि ऋण

2.1

1

2.2 एनसीडी

2.2. 1

227 तक के व्यक्ति और एच. यू. एफ.

13.92

100

13.92

रु. 10 लाख।

व्यक्ति और एच. यू. एफ. 37 से अधिक

13.17

2.2. 2

29.96

43.95

रुपये से अधिक। 10 लाख।

41

अन्य सुरक्षित एन. सी. डी

24.96

2.2. 3

202.30

50.49

16.46

20.32

81.00

2.2. 4

असुरक्षित एनसीडी

21

संबंधित पार्टी

2.2. 5

1

26.90

13.45

200.00

9, 017.22

कुल

2, 206.83

उपरोक्त तालिका के संदर्भ में, डिबेंचर रखने वाले सभी व्यक्ति/एच. यू. एफ.

रुपये से कम मूल्य का। 10 लाखों लोगों को अपनी बकाया मूल राशि का 100% मिलना था, जबकि व्यक्तियों और एचयूएफ के पास रुपये से अधिक का डिबेंचर था। 10 लाखों को मूलधन का 24.96% प्राप्त होना था।

10. 28 अक्टूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने दर्ज किया

कि आर. सी. एफ. एल. और समाधान आवेदक भारत के डिबेंचर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे।

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारकों को कुल बकाया मूल राशि का 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि

एक अतिरिक्त निपटान। इसलिए, डिबेंचर धारकों को कुल रु। 91,00,000 / - यह कुल बकाया मूलधन का 29.96% दर्शाता है। बदले में, वाद के डिबेंचर धारक पक्षों को पक्षों के खिलाफ अपने सभी दावों की पूरी और अंतिम संतुष्टि के साथ बातचीत के समझौते की शर्तों को स्वीकार करना होगा और समाधान आवेदक के पक्ष में अपने डिबेंचर स्थानांतरित करने के लिए सहमत होना होगा। इसी आदेश में, न्यायालय ने कहा कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र को पूर्वव्यापी रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स को नियंत्रित नहीं करता है। न्यायालय ने विश्वा को डिबेंचर ट्रस्ट डीड के संदर्भ में सभी डिबेंचर धारकों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दियाः

" 13. इसे ध्यान में रखते हुए, तीसरे प्रतिवादी को इस आदेश के 30 दिनों के भीतर तीनों डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के तहत सभी डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने और आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी बैठकों का आयोजन और संचालन और ऐसी बैठकों में मतदान संबंधित डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की शर्तों के अनुरूप हो। ऐसी बैठकों में, तीसरा प्रतिवादी लाभकारी मालिकों या डिबेंचर धारकों के विचार और अनुमोदन के लिए स्वीकृत समाधान योजना में परिकल्पित निपटान प्रस्ताव/समझौता/व्यवस्था को प्रस्तुत करेगा, और जैसा कि संशोधित किया गया है

ऊपर दी गई सीमा।

14. यदि कोई आगे या बाद में या पूरक न्यास विलेख है, तो उस पूरक न्यास विलेख के प्रावधान भी होंगे -

ध्यान में रखा गया।

15. सभी पक्ष सहमत हैं और समझौते और/या समझौते और/या व्यवस्था के बारे में गोपनीय रूप से बनाए रखने का वचन देते हैं।

वहाँ तक।

16. उपरोक्त पक्षकारों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए,

मुकदमा इन शर्तों में निपटाया जाता है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। इसमें सभी पक्षों की सहमति भी है।

18. जहां तक एस. ई. बी. आई. का संबंध है, मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि यह आदेश एस. ई. बी. आई. के खिलाफ कोई मिसाल नहीं होगा और न ही एस. ई. बी. आई. को अन्य मामलों के लिए इस आदेश की शर्तों पर रखा जाएगा। यह आदेश दिया गया है कि

इस मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ। "[2022] 15 एस. सी. आर.

15 नवंबर 2021 को एकल न्यायाधीश ने एक स्पष्टीकरण पारित किया

आदेश यह दर्शाता है कि बैठक डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) की शर्तों से विचलित नहीं होनी चाहिए और पूरक ट्रस्ट डीड को डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) के साथ सुसंगत तरीके से पढ़ना होगा। अदालत ने यह भी माना कि केवल एस. ई. बी. आई. परिपत्र का संदर्भ किसी भी डिबेंचर ट्रस्ट डीड की स्पष्ट शर्तों को ओवरराइड नहीं करेगा।

iii. विवादित फैसला

11. एस. ई. बी. आई. ने एकल न्यायाधीश के 28 अक्टूबर 2021 और 15 नवंबर 2021 के आदेशों को एक खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी। एस. बी. आई. ने प्रस्तुत किया अपनी अपील में, कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू है और समाधान योजना को लागू करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या 1 2 स्तर पर डिबेंचर धारकों की सहमति आवश्यक है।

12. पहली सुनवाई में, एस. ई. बी. आई. ने 28 अक्टूबर 2021 के एकल न्यायाधीश के आदेश के पैराग्राफ 15 से 17 पर आपत्ति जताई। तदनुसार,

डिवीजन बेंच ने 3 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया जिसमें SEBI को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एकल न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता दी गई। 3 दिसंबर 2021 को एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि एस. ई. बी. आई. मुकदमे में पक्षकार नहीं था और इसलिए समझौते में पक्षकार नहीं हो सकता था।

13. 6 दिसंबर 2021 को, डिवीजन बेंच ने SEBI द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 8 दिसंबर 2021 को बैठक आयोजित करने की अनुमति दी।

21 दिसंबर 2021 को, एक समन्वय पीठ ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि 8 दिसंबर 2021 को आयोजित बैठक के ई-मतदान के परिणामों को रिकॉर्ड में रखा जाए।

14. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, खंड पीठ ने निम्नलिखित कारणों से एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया:

एस. ई. बी. आई. परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा

ए।

13 अक्टूबर 2020 से पहले किए गए चूक क्योंकि: (क) यह 13 अक्टूबर 2020 को लागू होता है और इसलिए केवल 13 अक्टूबर 2020 के बाद किए गए चूक पर लागू होता है; और (बी) इसमें 13 अक्टूबर 2020 से पहले चूक के लिए पूर्वव्यापी आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है;

एस. ई. बी. आई. का परिपत्र केवल दो स्थितियों में लागू होगा, अर्थात् -

बी।

प्रतिभूति का प्रवर्तन या आई. सी. ए. में प्रवेश। एस. ई. बी. आई. का परिपत्र वर्तमान मामले में डिबेंचर के रूप में लागू नहीं होगा।

12 " आई. एस. आई. एन. क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारक अपनी सुरक्षा को लागू करने या आई. सी. ए. में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं; 11 को निष्पादित पूरक ऋणपत्र न्यास विलेख

सी।

मार्च 2021 एस. ई. बी. आई. परिपत्र को जारी किए जाने के बाद होने वाले चूक या 13 अक्टूबर के बाद चूक पर लागू करता है।

2020 ;

डी।

डिबेंचर ट्रस्ट की पांचवीं अनुसूची का खंड 23 विलेख 1993 के विनियमों के अनुरूप है। इसलिए,

एस. ई. बी. आई. परिपत्र डिबेंचर ट्रस्ट को पराजित नहीं करेगा।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) के खंड 59 के बदले में विलेख;

और

एस. ई. बी. आई. द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी स्पष्टीकरण पत्र

ई.

यह भी लागू नहीं होता है क्योंकि एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू नहीं होता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र का आवेदन

घ एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहाँ एक डिबेंचर धारक डिबेंचर धारण करता है

रु. 5 करोड़ रुपये की एक समाधान योजना को वीटो कर सकते हैं। 9,017 करोड़।

डिवीजन बेंच के विचार में, एक आईएसआईएन-वार बैठक आयोजित करना

बेंचर धारक छोटे निवेशकों के हितों को पराजित करेंगे, जो

संकल्प के तहत उन पर बकाया ऋण का 100% प्राप्त करना

B. मुद्दे

15. ई. एस. द्वारा प्रचार की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं:

क्या डिबेंचर धारक और अन्य पक्षकार

ए।

वर्तमान मामले को प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता थी

एस. ई. बी. आई. परिपत्र; और

बी।

क्या दीवानी अदालत के पास इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था

इस मामले में।

ग. प्रस्तुतियाँ

16. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान वरिष्ठ वकील और अतिरिक्त

इटोर जनरल ने समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं

लांट का तर्क है कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र वर्तमान मामले पर लागू होता हैः

डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के पक्षकारों ने प्रवेश किया है

ए।

11 [2022] 15 एस. सी. आर. पर एक मास्टर सप्लीमेंटरी डिबेंचर ट्रस्ट डीड में।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मार्च 2021 में डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स को एस. ई. बी. आई. परिपत्र के साथ संरेखित किया जाएगा। इसलिए, पक्षों को पता था कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र डिबेंचर धारकों पर लागू होता है। एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित डिबेंचर धारकों की बैठक एस. ई. बी. आई. के खंड 6.5 और 6.6 का उल्लंघन थी।

वृत्ताकार;

एस. ई. बी. आई. परिपत्र प्रकृति में पूर्वव्यापी है क्योंकि यह पीछे की ओर यात्रा नहीं करता है और निहित अधिकारों को छीनता या बाधित नहीं करता है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र भविष्य में संचालित होता है, लेकिन इसका संचालन उससे पहले की घटनाओं पर आधारित है। हालांकि डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स पर एस. ई. बी. आई. के परिपत्र से पहले हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन मतदान होने से पहले परिपत्र को लागू कर दिया गया था। इसलिए, मतदान एस. ई. बी. आई. परिपत्र के अनुसार होना चाहिए था।

एस. ई. बी. आई. परिपत्र में कानून की शक्ति है;

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के तहत, आई. एस. आई. एन. एस. के अनुसार मतदान आयोजित करने की आवश्यकता होती है। आई. एस. आई. एन.-बुद्धिमान मतदान यह सुनिश्चित करता है कि छोटे निवेशकों के अधिकार बड़े निवेश की ज्यादतियों से सुरक्षित हैं। निवेशक। आई. एस. आई. एन.-वार मतदान की संभावना समाधान योजना को विफल नहीं करेगी जैसा कि जारीकर्ता कंपनी हमेशा कर सकती है।

' सुरक्षा के आकार को समायोजित करें;

समाधान योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे "लागू होने वाले कानून" के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें एस. ई. बी. आई. द्वारा अधिनियमित कानून शामिल हैं। इसलिए, समाधान योजना को लागू करने से पहले एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी परिपत्र द्वारा अनिवार्य नियामक प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। 13 अक्टूबर 2020 को एस. ई. बी. आई. परिपत्र के लागू होने से पहले, लेनदारों के एक वर्ग की संयुक्त बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 द्वारा शासित थी। 1 3 एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में आई. एस. आई. एन. द्वारा 60 प्रतिशत निवेशकों और मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत निवेशकों के विशेष बहुमत को अपनाया गया ताकि डिबेंचर धारकों को समाधान योजना या समझौते के तहत अपने ऋण का समाधान करने में मदद मिल सके। असहमत/अनुपस्थित डिबेंचर धारकों को बाध्य करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 230 की तुलना में अधिक सीमा को SEBI परिपत्र ने अपनाया। दीवानी अदालत के पास वर्तमान मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

भारत का आई. ई. एस. और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार जी. पी. ए. एल. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15 वाई की धारा 1,4 और इसकी धारा 430

कंपनी अधिनियम; और

13 अक्टूबर 2020 को एस. ई. बी. आई. के परिपत्र के लागू होने के बाद, ऋणपत्र धारकों के पास ऋण के पुनर्गठन के लिए केवल दो संभावित विकल्प उपलब्ध थेः ((i) समझौता

सेबी परिपत्र के तहत एन. सी. एल. टी. से स्वतंत्र; या (ii) कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत एन. सी. एल. टी. से संपर्क करना। डिबेंचर धारकों के लिए कोई तीसरा विकल्प, विशेष रूप से डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत उपलब्ध नहीं है। कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत, उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से

अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया और डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की शर्तों के अनुसार समाधान योजना पर विचार करने के लिए डिबेंचर धारकों की एक बैठक का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय एस. ई. बी. आई. परिपत्र का पालन किए बिना समाधान योजना पर विचार करने के लिए डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने का निर्देश देने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता था।

इर. विचार संख्या 11) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है या

वर्तमान मामले के अनुसारः

एस. ई. बी. आई. परिपत्र में प्रयुक्त भाषा और

1993 के विनियमों का विनियम 15 (7) सुविधाजनक है और अनिवार्य नहीं है। आर. बी. आई. के परिपत्र के बाहर एस. ई. बी. आई. द्वारा कोई अलग या स्वतंत्र आई. सी. ए. लागू नहीं किया गया है। आर. बी. आई. स्वयं अपने ढांचे को इस रूप में पढ़ता है कि इसका विस्तार डिबेंचर धारकों तक नहीं है। एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में यह प्रावधान नहीं है कि आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करना ही समझौता करने का एकमात्र मार्ग है या

जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता। तदनुसार, डिबेंचर धारकों की किसी भी कार्रवाई को करने की स्वतंत्रता पर कोई निषेध, व्यक्त या निहित नहीं है, जैसा कि वे उचित समझते हैं। विशेष रूप से, एस. ई. बी. आई. परिपत्र भारतीय अनुबंध की धारा 62 और 63 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है। अधिनियम 1872;

एस. ई. बी. आई. का परिपत्र एक ऐसा तंत्र प्रदान नहीं करता है जिसके द्वारा असंतुष्ट आई. एस. आई. एन. स्तर के डिबेंचर धारक आई. सी. ए. से 'बाहर निकल' सकते हैं।

समाधान योजना। आई. एस. आई. एन. वार मतदान एकल आई. एस. आई. एन. संख्या को समाधान योजना को पराजित करने में सक्षम बनाएगा; [2022] 15 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एस. ई. बी. आई. परिपत्र एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत जारी किया जाता है। इसलिए, एस. ई. बी. आई. का परिपत्र प्रशासनिक प्रकृति का है और प्रत्यायोजित विधान नहीं है। एक प्रशासनिक परिपत्र का पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है क्योंकि यह निहित अधिकारों को छीन लेता है। इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है -

अधीनस्थ विधान का पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी अनुप्रयोग;

एस. ई. बी. आई. का परिपत्र निहित अधिकारों को समाप्त कर देता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के तहत डिबेंचर धारक। डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की पांचवीं अनुसूची के खंड 22 और 23 के तहत, विशेष बहुमत से डिबेंचर धारकों को किसी भी समझौते को मंजूरी देने का निहित अधिकार है या

कंपनी के साथ समझौता। हालाँकि, एस. ई. बी. आई. का परिपत्र

बहुमत की इच्छा को आई. एस. आई. एन. संख्या धारकों की इच्छा के अधीन करता है, और इस प्रक्रिया में डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के तहत प्रदत्त निहित अधिकारों को बाधित करता है। इस प्रकार,

एस. ई. बी. आई. परिपत्र का अनुप्रयोग न केवल पूर्वव्यापी होगा, बल्कि इसे पूर्वव्यापी भी बनाएगा। एस. ई. बी. आई. का परिपत्र ऋणपत्र धारकों को ऋणपत्र न्यासी को अधिनियम के खंड 22 के तहत गिने गए मामलों के संबंध में अधिकार प्रदान करने से नहीं रोकता है।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की पांचवीं अनुसूची। एस. ई. बी. आई. परिपत्र में उपयोग की जाने वाली अनिवार्य भाषा केवल खंड 6.5 में उल्लिखित दो संभावनाओं पर लागू होती है और डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स के तहत आने वाली सभी सामान्यताओं को शामिल नहीं करती है। एस. ई. बी. आई. का परिपत्र केवल दो स्थितियों पर लागू होता हैः (i) प्रतिभूति के प्रवर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नकारात्मक सहमति; और (ii) आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सकारात्मक सहमति। समाधान योजना की विषय वस्तु में उपरोक्त स्थितियों में से कोई भी शामिल नहीं है; पूरक न्यास विलेख डिबेंचर न्यास विलेखों की पाँचवीं अनुसूची के खंड 22 और 23 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से संशोधन, प्रतिस्थापन या संशोधन नहीं करता है। भले ही यह माना जाता है कि पूरक न्यास विलेख शामिल है

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के प्रत्येक कार्यकाल में, इसके परिणामस्वरूप खंड 22 और 23; आई. ई. एस. और भारत का विनिमय बोर्ड v. के प्रावधानों को ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

राजकुमार जी. पी. एल. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

समाधान योजना डिबेंचर धारकों को एक नई आई. सी. ए. प्रक्रिया के तहत बेहतर स्थिति में रखती है। यह ऋणपत्र धारकों को रुपये तक के जोखिम के साथ 100% पुनर्भुगतान का प्रावधान करता है। 10 लाख। डिबेंचर धारक

यदि वे ऋणदाताओं के साथ आई. सी. ए. का हिस्सा बन जाते हैं तो यह ऋण के कुल मूल्य का केवल 21.02% होगा। नतीजतन, उन्हें ऋणदाताओं द्वारा आसानी से पछाड़ दिया जा सकता है, जो

मूल्य के हिसाब से आई. सी. ए. का 78.98% है; और

एस. ई. बी. आई. का यह तर्क कि कंपनी अधिनियम की धारा 430 के साथ पठित धारा 230 उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करती है, असमर्थनीय है क्योंकि कानून स्पष्ट रूप से किसी कंपनी को संविदात्मक समझौते में प्रवेश करने से नहीं रोकता है। अपने किसी भी लेनदार के साथ।

यह दर्ज करना आवश्यक है कि श्री खंबाटा चुनाव नहीं लड़ते हैं

छ. अपीलार्थियों द्वारा कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया गयाः

एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी परिपत्र विशेष कानून का गठन करते हैं और ये हैं -

बाध्यकारी, कानून के बल के साथ;

जहाँ एस. ई. बी. आई. एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है

विशेष रूप से, ऐसी प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता है;

सार्वजनिक नीति के आधार पर कानून के प्रावधान की कोई छूट नहीं हो सकती है; और

कोई भी अदालत उस अनुबंध को प्रभावी नहीं बनाएगी जो या तो स्पष्ट रूप से या कानून द्वारा आवश्यक निहितार्थ द्वारा निषिद्ध है।

ओ. डी. ए. (प्रतिवादी संख्या 12) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए क्योंकिः

एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में कोई पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी नहीं है

संचालन क्योंकि यह एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में एक विनियमन नहीं है।

समाधान योजना के तहत समझौता नहीं होता है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के साथ पठित धारा 430 का उल्लंघन क्योंकि बाद वाला केवल एक सक्षम प्रावधान है।

एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को केवल तभी लागू किया जाता है जब

कंपनी जो अपने लेनदारों के साथ समझौता करने का प्रस्ताव करती है, वह एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन दायर करने का विकल्प चुनती है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौजूदा समाधान प्रक्रिया में कोई और बदलाव किया गया

सी.

आर. बी. आई. विवेकपूर्ण ढांचे के तहत वैध रूप से सभी हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों को पटरी से उतार देगा। विशेष रूप से, यह सभी लेनदारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा कंपनी, जिसमें 69 प्रतिशत खुदरा डिबेंचर धारक शामिल हैं, जो मूल जोखिम का 100% प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

20. श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील, समाधान आवेदक ऑथम की ओर से पेश हुए। ऑथम वर्तमान में एक पक्ष नहीं है कार्यवाही। श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र केवल संभावित रूप से लागू हो सकता है और पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी रूप से नहीं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया

कि यह न्यायालय, सही कानूनी स्थिति घोषित करने के बाद, न्यायसंगत विचारों के आधार पर अंतिम राहत को ढालने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

D. संविदात्मक व्यवस्थाओं का अवलोकन

आई. डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स

21. जारीकर्ता कंपनी (आर. सी. एफ. एल.) और डिबेंचर ट्रस्टी (विस्त्रा) के बीच 3 मई 2017,23 मई 2017 और 5 फरवरी 2018 को तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड किए गए थे। प्रथम डिबेंचर न्यास विलेख के खंड 58 और 59 इस प्रकार हैं:

" 58. सार्वभौमिकता

इन उपहारों के प्रत्येक प्रावधान को अलग करने योग्य माना जाएगा।

और यदि किसी भी कारण से इन उपहारों का कोई प्रावधान सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अमान्य या अप्रवर्तनीय होने के लिए निर्धारित किया जाता है

और भारतीय कानूनों या मौजूदा या भविष्य में लागू कानून के विपरीत, ऐसी अयोग्यता संचालन को बाधित नहीं करेगी या इन उपहारों के उन प्रावधानों को नहीं रोकेगी जो वैध हैं। उस मामले में, इन उपहारों का अर्थ इस तरह से लगाया जाएगा कि वे किसी भी अवधि या प्रावधान को सीमित कर दें ताकि इसे किसी भी लागू कानून की आवश्यकताओं के भीतर लागू करने योग्य या वैध बनाया जा सके और यदि ऐसा कार्यकाल या प्रावधान इतना सीमित नहीं हो सकता है, तो इन उपहारों का अर्थ इस तरह से किया जाएगा कि वे ऐसे अमान्य या वैध प्रावधानों को हटा दें।

अप्रवर्तनीय प्रावधान। इस संकल्प के बाद कि कोई भी

इन उपहारों का प्रावधान अप्रवर्तनीय है, पार्टियों को

अच्छे विश्वास के साथ एक नए प्रावधान पर बातचीत करें जो कानूनी रूप से
संभव है, सबसे लगभग पार्टियों के इरादे को दर्शाता है और कि
इन उपहारों को अपने मूल इरादे और प्रभाव के लिए यथासंभव पुनर्स्थापित करता है।

भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

59. शर्तों का टकराव

पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि यदि इस अनुबंध में निहित कोई भी नियम या प्रावधान समय-समय पर संशोधित किए गए एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के प्रावधानों के साथ टकराव में हैं, तो ऐसे खंड अमान्य हो जाएंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि विसंगति होने की स्थिति में

इस विलेख और सूचना ज्ञापन में उल्लिखित खंडों में, सूचना ज्ञापन में उल्लिखित खंड प्रबल होंगे।

आर. सी. एफ. एल. द्वारा चूक मार्च 2019 से हुई। प्रमुख-बैंक ऑफ बड़ौदा-ने 13 जून 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे अपने पत्र में कहा

" कंपनी (रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड) ने विभिन्न बैंकों से कुल 1 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। इसने मार्च 2019 से ऋण चुकाने में चूक करना शुरू कर दिया। अनुक्रम

घटनाओं के कारण कंपनी में समाधान प्रक्रिया शुरू होती है

खाता इस प्रकार हैः

◆ आर. सी. एल. (रिलायंस) के वाणिज्यिक वित्त व्यवसाय का विघटन

कैपिटल लिमिटेड) आरसीएफएल में-24.03.2017;

◆ श्री देवांग मोदी, कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया-31.12.2018;

आंध्र बैंक के सावधि ऋण के पुनर्भुगतान में चूक -

22.03.2019 ;

◆ रेटिंग (एल. टी.) को केयर बी. बी. बी. + से घटाकर डी-26.04.2019 कर दिया गया है।

◆ कंपनी के पूर्व लेखा परीक्षक पीडब्ल्यूसी ने इस्तीफा दे दिया

11.06.2019 "

22. 15 जुलाई 2019 को, बैंक ऑफ दा और आरसीएफएल के अन्य ऋणदाताओं के बीच एक आईसीए में प्रवेश किया गया था। 24 अगस्त 2020 को, बैंक ऑफ दा ने एक प्रक्रिया नोट जारी किया जिसमें पात्र बोलीदाताओं से लूशन योजना की मांग करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया था। प्रक्रिया नोट में तीन एनएस निर्धारित किए गए हैं जिनमें से पहला विकल्प निम्नलिखित शब्दों में थाः

" विकल्प I-आर. सी. एफ. एल. के लिए बोली प्रस्तुत करना।

जैसा-है-कहाँ-है और जैसा-है-क्या-आधार है।

विकल्प-I के तहत, बोलीदाताओं को आर. सी. एफ. एल. की पूरी हिस्सेदारी और व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, [2022] 15 एस. सी. आर.

प्रत्येक परिसंपत्ति पुस्तक और सभी अधिकारों, दायित्वों, ऋणों (प्रतिभूत और सुरक्षित) सहित आधार पर-जैसा है-जहां है-और जैसा है-क्या है।

आर. सी. एफ. एल. की शक्तियाँ, आवंटन, अनुमोदन, आवंटन, सहमति, विशेषाधिकार, कर्मचारी आदि या अमूर्त, मूर्त या अमूर्त, वर्तमान या महाद्वीप। इस विकल्प-I के तहत, चुनिंदा या परिसंपत्ति पुस्तिका के हिस्से के लिए बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। इस विकल्प का प्रयोग करेंगे आर. सी. एफ. एल. के प्रबंधन में बदलाव। अधिग्रहणकर्ता के पास अधिग्रहण को या तो शेयर खरीद या व्यवस्था की योजना (विलय, विलयन आदि सहित) के रूप में या इस तरह के अन्य तरीके से संरचित करने का लचीलापन होगा जो अधिग्रहण से पारस्परिक रूप से फायदेमंद हो।

वाणिज्यिक, कर और नियामक परिप्रेक्ष्य।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि Rs.100 करोड़ की राशि होगी

आर. सी. एफ. एल. में अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए रखा गया। में कोई भी राशि

Rs.100 करोड़ की अधिकता का उपयोग लाभ के लिए किया जा सकता है

ऋणदाता "।

23. 15 जनवरी को ऑथम द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की गई थी, प्रस्तुत किए गए समाधान योजना के प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार थीं:

" खंड 7.5। ii-समाधान योजना से संबंधित खर्चों के निपटारे के बाद, संबंधित संचालन में कर्मचारी से संबंधित खर्च

खर्च, समाधान आवेदक बकाया का निपटान करेगा

वित्तीय लेनदारों का असहमति और वित्तीय लेनदारों की सहमति

खंड 7.5। vi-असहमति के एफ. सी. के दावों को स्पष्ट किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को किसी भी सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों को भुगतान करने की प्राथमिकता में भुगतान किया जाएगा।

खंड 41-वित्तीय लेनदारों (एफ. सी.) का अर्थ होगा मौजूदा

खंड 33-वित्तीय ऋणदाताओं या ऋणदाताओं से असहमति इसका अर्थ वे वित्तीय लेनदार होंगे जो भारत के समाधान और विनिमय बोर्ड के खिलाफ मतदान करते हैं।

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संकल्प योजना के पक्ष में मतदान करने की योजना बनाएँ या उससे दूर रहें, जैसे - आईसीए ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित।

खंड 6.1। इस विचार प्रक्रिया के अनुरूप आर. ए. का प्रस्ताव है

बी. आई. डी. दस्तावेजों के विकल्प 1 के तहत एक या संयोजन के माध्यम से कंपनी के पूरे व्यवसाय का अधिग्रहण करना।

यहाँ धारा 5 में उल्लिखित विकल्पों में से।

खंड 6-"लागू कानून का अर्थ है सभी लागू भारतीय कानून, अधिनियम, कानून, अध्यादेश, उप-कानून, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस और/या निर्णय, फरमान,

किसी भी न्यायालय के वैधानिक या नियामक के निषेधाज्ञा, रिट या आदेश

किसी भी अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंज, जो किसी भी संशोधन, संशोधन सहित लागू और प्रभावी हो सकता है

या समय-समय पर पुनः अभिनय "

24. 11 मार्च 2021 को, दलों ने पूरक में प्रवेश किया

पूर्ववर्ती डिबेंचर न्यास विलेखों में संशोधन करने के लिए न्यास विलेख। पूरक न्यास विलेख में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया हैः

" जहाँ

ए. पार्टियों ने प्रमुख कार्यों में प्रवेश किया है जैसा कि में सूचीबद्ध है

के लिए नियम और शर्तों को दर्ज करने के लिए अनुसूची 1 यहाँ नीचे दी गई है कंपनी द्वारा ऋणपत्र जारी करने के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 और विनियमों के प्रावधान।

प्रतिभूति विनिमय द्वारा अधिसूचित डिबेंचर जारी करने पर लागू भारतीय बोर्ड ("SEBI"), समय-समय पर।

बी. एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है।

ऋण प्रतिभूतियों की सूचीकरण) विनियम, 2008 और एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 अपनी राजपत्र अधिसूचना संख्या के माध्यम से।

34 और 35, क्रमशः और प्रत्येक दिनांक 8 अक्टूबर, 2020। इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. ने अपने परिपत्रों के माध्यम से ऋण उपकरणों और डिबेंचर न्यासियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें संदर्भ संख्या (i) एस. ई. बी. आई./एच. ओ./डी. डी. एच. एस./सी. आई. आर./पी./2020/198 और

दिनांक 5 अक्टूबर, 2020; (ii) एस. ई. बी. आई./एच. ओ./एम. आई. आर. एस. डी./सी. आर. ए. डी. टी./सी. आई. आर./पी./2020/203 और दिनांक 13 अक्टूबर, 2020; (iii) एस. ई. बी. आई./एच. ओ./एम. आई. आर. एस. डी./सी. आर. ए. डी. टी./सी. आई. आर./पी./2020/207 और दिनांक 22 अक्टूबर, 2020; (iv) एस. ई. बी. आई./एच. ओ./एम. आई. आर. डी./सी. आर. ए. डी. टी./सी. आर. आई. आर./पी./<आई.

सी. आर. ए. डी. टी./सी. आई. आर./पी./2020/230 और दिनांक 12 नवंबर, 2020

(सामूहिक रूप से "डिबेंचर सर्कुलर" के रूप में संदर्भित)।

ग. शर्तों सहित लागू कानूनों के अनुसार डिबेंचर परिपत्रों के तहत निर्धारित, पार्टियां अब इस पूरक विलेख को निष्पादित करके प्रमुख विलेखों में संशोधन करने की इच्छुक हैं।

पूरक न्यास विलेख में निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल हैं: " 2.2 संबंधित प्रधान कार्यों के अंतिम प्रावधान/अनुच्छेद/धारा खंड के तुरंत बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

" सेबी डिबेंचर की शर्तों को शामिल करने के लिए इस विलेख के भीतर परिपत्र, 'अनुसूची-एस. ई. बी. आई. संशोधन 2020' नामक अनुसूची के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों को इस विलेख के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

2.3 प्रत्येक संबंधित प्रधान विलेख की अंतिम मौजूदा अनुसूची के बाद 'अनुसूची-एस. ई. बी. आई. संशोधन 2020' के रूप में एक नई अनुसूची निम्नानुसार जोड़ी जाएगी:

5. कंपनी उचित अनुपालन और पालन सुनिश्चित करेगी

एस. ई. बी. आई. डिबेंचर सर्कुलर अक्षर और भावना में।

(जोर दिया गया)

पूरक न्यास विलेख की उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से समझती है

इसके अलावा, सप्लीमेंट्री डिबेंचर ट्रस्ट डीड स्पष्ट रूप से एस. ई. बी. आई. के डिबेंचर परिपत्रों की शर्तों को इसके दायरे में शामिल किया गया

और यह आवश्यकता कि आर. सी. एफ. एल. उचित अनुपालन सुनिश्चित करेगा और एस. ई. बी. आई. के परिपत्रों का अक्षरशः पालन। ऑथम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को 15 जुलाई 2021 को मंजूरी दी गई थी।

ii. डिबेंचर ट्रस्टी (विस्त्रा) द्वारा उठाए गए कदम

25. बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में विस्त्रा ने कहा,

आर. सी. एफ. एल. द्वारा अपने तरलता संकट के बारे में सूचित किए जाने पर उसने जो कदम उठाए थे, उन्हें स्पष्ट किया। विस्त्रा ने कहा कि उसने 17 अक्टूबर 2019,6 नवंबर 2019 और 14 जनवरी 2020 को डिबेंचर धारकों की एक बैठक निर्धारित की कि क्या आईसीए में प्रवेश किया जाना चाहिए या नहीं। विस्त्रा ने इन सभी बैठकों के बारे में एस. ई. बी. आई. और आर. बी. आई. को जानकारी प्रदान की।

फरवरी 2020 में, भारत का विस्त्रा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सुरक्षित डिबेंचर धारकों के बकाया की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बॉम्बे के समक्ष कार्यवाही दायर की थी।

26. विस्त्रा ने 18 जून 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा को इस तंत्र और निर्णय लेने की प्रक्रिया में डिबेंचर धारकों की गैर-भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए एक संचार को संबोधित किया। 1 जुलाई 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया कि वितरण के लिए उपलब्ध कुल राशि रु। 523 यह कि डिबेंचर धारकों को उनके द्वारा निवेश की गई राशि का 5.7% प्राप्त होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने पर डिबेंचर धारकों को आनुपातिक राशि का भुगतान किया जाएगा। विस्त्रा ने आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के विभिन्न पहलुओं पर डिबेंचर धारकों को सूचित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

27. समाधान योजना सलाहकार ने विस्त्रा से डिबेंचर धारकों की ओर से आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार

आईसीए ऋणदाताओं का आयोजन 6 नवंबर 2020 को किया गया था। इस बैठक में चार डिबेंचर धारकों के साथ एक पर्यवेक्षक के रूप में विस्त्रा ने भाग लिया था। इस बीच, विस्त्रा को रुपये की राशि का भुगतान मिला। 38.6

करोड़ (5 सितंबर 2020) रु। 23.4 करोड़ (29 जनवरी 2021) और रु। 9 (23 अप्रैल 2021) जो डिबेंचर धारकों को वितरित किए गए थे।

28. इसके बाद, विस्त्रा को 16 जुलाई 2021 को एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि ऑथम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को आईसीए ऋणदाताओं द्वारा 15 जुलाई 2021 को मंजूरी दी गई थी और एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था

समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिबेंचर धारकों का। स्वीकृत समाधान योजना का विवरण 19 जुलाई 2021 को डिबेंचर धारकों को भेजा गया था।

29. विस्त्रा ने 30 जुलाई 2021 को डिबेंचर धारकों की एक बैठक आयोजित की। डिबेंचर धारकों द्वारा कई चिंताएं उठाए जाने के बाद, विस्त्रा ने एस. ई. बी. आई. के अधिकारियों के साथ संवाद किया। 23 अगस्त 2021 के एक पत्र द्वारा, एस. ई. बी. आई. ने स्पष्ट किया कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र के अनुरूप, डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान आई. एस. आई. एन. के अनुसार किया जाना चाहिए। अंत में, विस्त्रा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि आईसीए पर हस्ताक्षर करने के बारे में निर्देश देने के लिए डिबेंचर धारकों से कई अनुरोध करने के बावजूद, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. के तहत ऋण के समाधान के लिए रूपरेखा

कम्पनी अधिनियम 1956

समझौता, व्यवस्था और पुनर्निर्माण। धारा 391, जैसा कि इसके सीमांत नोटों में इंगित किया गया है, समझौता करने की शक्ति पर स्पष्ट किया गया है या लेनदारों और सदस्यों के साथ व्यवस्था करें। प्रावधान के तहत, एक कंपनी के बीच एक समझौता या व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है और;

ए। लेनदार या उनमें से कोई भी वर्ग; या बी। इसके सदस्य या उनमें से कोई भी वर्ग।

31. धारा 391 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, कंपनी न्यायालय (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के प्रतिस्थापन से पहले) कंपनी न्यायालय) लेनदारों या लेनदारों के एक वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के एक वर्ग की बैठक का आदेश दे सकता है। धारा 391 की उप-धारा (2) के लिए एक निर्धारित बहुमत की आवश्यकता होती है जो ऋणदाताओं या सदस्यों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है या उनमें से एक वर्ग उपस्थित और मतदान करता है।

किसी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होना। उस स्थिति में न्यायिक निकाय द्वारा मंजूरी मिलने पर यह सभी लेनदारों या सदस्यों या उनमें से एक वर्ग के लिए बाध्यकारी होगा, जैसा भी मामला हो। धारा 391 (2) में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित होने पर किसी समझौते या व्यवस्था का प्रभाव यह था कि यह योजना उन लोगों को भी बाध्य करेगी जो मतदान से असहमत थे या अनुपस्थित थे। ये प्रावधान बिना किसी अपवाद के सभी प्रकार के लेनदारों पर लागू होते हैं।

32. पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 जैसे प्रावधान के अभाव में, लेनदारों के बकाया भुगतान के लिए एक अनुबंध यह अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। धारा 62 में परिकल्पना की गई है कि यदि किसी अनुबंध के पक्ष इसके लिए एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने, या इसे रद्द करने या बदलने के लिए सहमत हैं, तो मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, धारा 63 में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक प्रतिज्ञाकर्ता अपने साथ किए गए वादे को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा कर सकता है या उसे पूरा कर सकता है, या इस तरह के प्रदर्शन के लिए समय बढ़ा सकता है या इसके बजाय किसी भी संतुष्टि को स्वीकार कर सकता है जिसे वह उचित समझता है। द.

धारा 62 और 63 के प्रावधान स्पष्ट रूप से सहमति देने वाले पक्षों पर लागू होंगे। इसलिए, एक देनदार और एक लेनदार के बीच पहले के समझौते की शर्तें स्वीकृति के एक विशिष्ट कार्य द्वारा भिन्न होंगी।

33. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 का प्रभाव किसी कंपनी के लेनदारों या सदस्यों के संबंध में, गैर-सहमति वाले सदस्यों या लेनदारों को बाध्य करने की इसकी क्षमता में निहित है, जहां समझौते या व्यवस्था की शर्तों को विशेष बहुमत से अनुमोदित किया गया था और न्यायिक निकाय द्वारा सहमति दी गई थी। कंपनी अधिनियम के अधिनियमन पर, धारा 230 जो अध्याय XV का एक हिस्सा है, का शीर्षक है "समझौता,

व्यवस्था और समामेलन "। धारा 230 में एक अनुरूप है

प्रावधान।

34. धारा 230 की उप-धारा (6) में यह प्रावधान है कि जहां उप-धारा (1) के अनुसरण में आयोजित होने वाली बैठक में अधिकांश व्यक्ति

लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में 3/4 का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एक समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी, यह कंपनी और सभी पर बाध्यकारी होगी

लेनदार या लेनदारों का वर्ग या सदस्य या सदस्यों का वर्ग और कंपनी के योगदानकर्ता। कंपनी अधिनियम की धारा 230 में उस तरीके का प्रावधान है जिसमें कंपनी के लेनदारों के एक वर्ग (जैसे डिबेंचर धारकों) के भीतर लेनदारों को असहमति या बहिष्कार करना विशेष बहुमत और एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदन पर समझौते या व्यवस्था की शर्तों से बाध्य हो सकता है।

35. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 (4) में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर लागू होंगेः

अधिनियम या पूर्ववर्ती के तहत निगमित कंपनियाँ

ए।

कंपनी कानून;

बीमा कंपनियाँ;

बी।

बैंकिंग कंपनियाँ;

सी.

डी।

बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियाँ; उस समय के लिए किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई अन्य कंपनी

ई.

बल में होना।

ii. 6 जुलाई 2019 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र और कानूनी ढांचा

इसके बाद

36. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जून 2019 को निर्देश जारी किए "जल्दी मान्यता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की दृष्टि से,

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान "। आर. बी. आई. परिपत्र इंगित करता है कि यह निम्नलिखित पर लागू होता हैः

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;

ए।

बी।

निर्दिष्ट अखिल भारतीय अवधि के वित्तीय संस्थान;

लघु वित्त बैंक; और

सी.

गैर-बैंकिंग वित्तीय जमा और गैर-जमा

डी।

कंपनियाँ। 1 5

37. आर. बी. आई. परिपत्र में परिकल्पना की गई है कि सभी ऋणदाताओं को इसे स्वीकार करना चाहिए।

इस तरह की परिसंपत्तियों को 'विशेष उल्लेख खातों' के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में तुरंत दबाव पड़ता है। 'चूक' पद का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना, जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में परिभाषित किया गया है, जब पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गई है और ऋणी या निगम द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। ऋणी। परिपत्र द्वारा जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

ढांचे के लिए आवश्यक है कि ऋणदाता प्रक्रिया शुरू करें

ए।

चूक होने से पहले ही समाधान योजना को लागू करना। एक बार जब उधारकर्ता के चूक करने की सूचना मिल जाती है, तो ऋणदाताओं को इसकी प्रथम दृष्टया समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे चूक के 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता का खाता, जिसके भीतर एक समाधान रणनीति तय की जानी है (खंड 9);

बी।

ऐसे मामलों में जहां समाधान योजना लागू की जानी है, सभी ऋणदाताओं को समीक्षा अवधि (खंड 10) के दौरान आई. सी. ए. में प्रवेश करना होगा; और

आई. सी. ए. को यह प्रावधान करना होगा कि ऋणदाताओं द्वारा सहमत कोई भी निर्णय

सी.

सुविधाएं ("निधि आधारित और गैर-निधि आधारित") और 60 प्रतिशत ऋणदाता सभी ऋणदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे। (खंड 10)।

आर. बी. आई. परिपत्र में अन्य प्रावधान शामिल हैं जिनमें शामिल हैं -

समाधान योजना का कार्यान्वयन, विलंब के परिणाम

15 " 3. इन निर्देशों के प्रावधान निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगेः (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); (ख) अखिल भारतीय सावधि वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक और सिडबी);

(ग) लघु वित्त बैंक; और,

(घ) व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन. बी. एफ. सी.-एन. डी.-एस. आई.) और जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन. बी. एफ.-सी.-डी.) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v.

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कार्यान्वयन, विवेकपूर्ण मानदंड, पर्यवेक्षी समीक्षा, प्रकटीकरण और अपवाद।

अन्य निवेशकों जैसे डिबेंचर धारकों के लिए कोई प्रावधान करना, जिस बिंदु को फ्रेमवर्क के फुटनोट 1 द्वारा उजागर किया गया है। 1 6 खंड 10 निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" 10. ऐसे मामलों में जहां आर. पी. लागू किया जाना है, सभी ऋणदाता उपरोक्त अवधि के दौरान अंतर-लेनदार समझौता (आई. सी. ए.) करें।

कहा गया समीक्षा अवधि, अंतिम रूप देने के लिए जमीनी नियमों का प्रावधान करने के लिए

एक से अधिक ऋणदाताओं से सुविधाएं। आई. सी. ए. यह प्रदान करेगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी होगा।

सभी ऋणदाताओं पर। इसके अतिरिक्त, आई. सी. ए., अन्य बातों के साथ-साथ, बहुसंख्यक ऋणदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों, कर्तव्यों और असंतुष्ट ऋणदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, ऋणदाताओं के साथ प्राथमिकता के साथ व्यवहार का प्रावधान कर सकता है।

नकदी प्रवाह/विभेदक प्रतिभूति ब्याज आदि। विशेष रूप से, आर. पी. भुगतान के लिए देय परिसमापन मूल्य से कम का प्रावधान नहीं करेंगे

असहमत ऋणदाता "।

" ऐसे मामलों में जहां परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ए. आर. सी.) संबंधित उधारकर्ता के संपर्क में आने पर वे आई. सी. ए. पर भी हस्ताक्षर करेंगे और इसके सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

खंड 10 सभी ऋणदाताओं के लिए आई. सी. ए. में प्रवेश करना अनिवार्य बनाता है, जहां एक समाधान योजना लागू की जानी है। आई. सी. ए. को प्रदान करना होगा

समाधान योजना को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए बुनियादी नियम जहां उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋणदाताओं से ऋण सुविधाएं हैं। उल्लेखनीय है कि, आई. सी. ए. को यह अनिवार्य करना चाहिए कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं द्वारा सहमत कोई भी निर्णय सभी ऋणदाताओं द्वारा बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि जहां ऋणदाताओं का आवश्यक बहुमत निर्णय का समर्थन करता है, निर्णय उन सभी ऋणदाताओं को बाध्य करता है जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो असहमत हो सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। आई. सी. ए. को अन्य बातों के साथ-साथ असहमत ऋणदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करनी है और

16 फुटनोट 1, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्रः " इन निर्देशों के उद्देश्य के लिए, 'ऋणदाताओं' का अर्थ पैराग्राफ 3 में उल्लिखित सभी संस्थाओं से होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। "[2022] 15 एस. सी. आर.

विशेष रूप से, परिसमापन मूल्य से कम के भुगतान के लिए

विरोध करने वाले। परिसमापन मूल्य (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के फुटनोट 6 में निर्दिष्ट किया गया है) का अर्थ है उधारकर्ता की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि उधारकर्ता को समीक्षा अवधि शुरू होने की तारीख को परिसमापन किया जाना था। 1 7 इसलिए सभी ऋणदाताओं को बांधने की क्षमता, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो असहमत हैं या अनुपस्थित हैं, इस पर सशर्त है -

39. कंपनी अधिनियम की धारा 1 (4) (ई) मान्यता देती है कि बैंकिंग कंपनियों को एक विशेष कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 230 (2) (सी) (iv) में विचार किया गया है कि कंपनी या व्यक्ति जिसके द्वारा उप-धारा (1) के तहत किया गया आवेदन शपथ पत्र के माध्यम से निगम ऋण पुनर्गठन की किसी भी योजना का खुलासा करेगा, जिसके लिए कम से कम 75 प्रतिशत सुरक्षित लेनदारों ने सहमति दी है और जहां कंपनी निर्दिष्ट निगम ऋण पुनर्गठन दिशानिर्देशों को अपनाने का प्रस्ताव करती है।

आर. बी. आई. द्वारा, उस प्रभाव के लिए एक बयान। आर. बी. आई. परिपत्र के खंड 9,10 और 13 को फुटनोट 7 के साथ एक समाधान योजना पर विचार करें। खंड 3,18 के दायरे में आने वाले ऋणदाता संस्थानों के साथ एक डिफ़ॉल्ट खाते का पुनर्गठन शामिल है।

40. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एक विशेष कानून के तहत है

कंपनी अधिनियम की धारा 1 (4) (ई) के अर्थ के भीतर, धारा सी समाधान योजना के लिए कार्यान्वयन शर्तों का प्रावधान करता है।

धारा 230 के तहत एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने की आवश्यकता, जहां

आर. बी. आई. परिपत्र के खंड 3 द्वारा शासित ऋणदाताओं के संबंध में समाधान योजना लागू की जा रही है। 41. इन प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र, जो अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है, परिकल्पना करता है कि

17 फुटनोट 6, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्रः " परिसमापन मूल्य का अर्थ होगा संबंधित उधारकर्ता की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि ऐसे उधारकर्ता को समीक्षा अवधि शुरू होने की तारीख को परिसमापन किया जाना था। 18 फुटनोट 7, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्रः " पुनर्गठन एक ऐसा कार्य है जिसमें ऋणदाता, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें देता है। पुनर्गठन में आम तौर पर अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर, अन्य बातों के अलावा, भुगतान अवधि/देय राशि/किश्तों की राशि/ब्याज की दर में परिवर्तन; ऋण सुविधाओं को लागू करना; चूक को ठीक करने/मौजूदा ऋण सीमाओं को बढ़ाने में सहायता के लिए चूक खाते के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी/अतिरिक्त धन जारी करना; समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक हो। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सभी ऋणदाताओं को एक आई. सी. ए. में प्रवेश करना चाहिए जहां एक समाधान योजना लागू की जा रही है;

. ढ ए

बी। आई. सी. ए. यह प्रावधान करेगा कि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं का निर्णय सभी ऋणदाताओं को बाध्य करेगा, जिसमें वे भी शामिल हैं जो असहमत हो सकते हैं। ऋणदाताओं द्वारा आईसीए में प्रवेश करना कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य पहला कदम है।

समाधान योजना का; और

यह आई. सी. ए. है जो सभी ऋणदाताओं को बांधने की क्षमता निर्धारित करेगा।

सी.

एक बार जब निर्धारित द्वारा निर्णय पर सहमति हो जाती है

बहुमत।

उल्लेखनीय है कि आर. बी. आई. के परिपत्र में अधिक मतदान का निर्देश दिया गया है

कंपनी अधिनियम की धारा 230 (6) द्वारा अनिवार्य सीमा से अधिक। नतीजतन, 7 जून 2019 (आर. बी. आई. परिपत्र जारी करने की तारीख) को और उससे, आर. बी. आई. के खंड 3 द्वारा शासित ऋण देने वाले संस्थान

परिपत्र विशेष तंत्र का लाभ उठा सकता है जो इसके तहत ऋणदाताओं को देय ऋण के पुनर्गठन के लिए समझौता, समाधान, योजना या व्यवस्था करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत एन. सी. एल. टी. से संपर्क किए बिना, असंतुष्टों या अनुपस्थित रहने वालों को बाध्य करना।

iii. एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993

और अनुशासनात्मक कार्यवाही। अध्याय V डिफ़ॉल्ट के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। अध्याय VI में 1993 के विनियमों के सख्त प्रवर्तन में ढील देने का प्रावधान है। विनियमन 15 डिबेंचर न्यासियों के कर्तव्यों का प्रावधान करता है। इनमें से यह कर्तव्य है कि जब भी कोई बैठक हो, डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने के लिए कदम उठाए जाएं। आयोजित किया जाना आवश्यक है (खंड (1))। विनियम 14 डिबेंचर न्यासियों के दायित्व का प्रावधान करता है। 19

19 विनियम 14,1993 विनियमः " 14. प्रत्येक डिबेंचर ट्रस्टी अन्य मामलों के अलावा, ट्रस्ट विलेखों को स्वीकार करेगा जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 में निर्दिष्ट मामले शामिल होंगे। SH.12 कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट। इस तरह के न्यास विलेख में दो भाग होंगेः ए। भाग ए जिसमें ऋण मुद्दे से संबंधित वैधानिक/मानक जानकारी है; बी। भाग बी में विशेष ऋण मुद्दे के लिए निर्दिष्ट विवरण हैं। "[2022] 15 एस. सी. आर.

43. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र विशेष रूप से खंड 3 में निर्दिष्ट ऋणदाताओं की श्रेणी पर लागू होता है। आवश्यकता यह है कि ऋणदाता एक आई. सी. ए. में प्रवेश करते हैं जहां एक समाधान योजना लागू की जानी है, जैसा कि खंड 10 में निर्दिष्ट किया गया है।

44. 1993 के विनियमों के विनियम 15 (7) को एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) विनियम 2020 द्वारा प्रभावी रूप से जोड़ा गया था।

8 अक्टूबर 2020 से। विनियम 15 (7) निम्नलिखित प्रावधान करता हैः -

" 15 (7) डिबेंचर धारकों की मंजूरी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन, डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर धारकों की ओर से, ढांचे के तहत प्रदान किए गए अंतर-लेनदार समझौतों में प्रवेश कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट "।

विनियमन 15 (7) में विचार किया गया है कि ऋणपत्र न्यासी भारतीय रिज़र्व बैंक के ढांचे के तहत प्रदान किए गए आई. सी. ए. में "प्रवेश" कर सकते हैं बशर्ते किः

डिबेंचर धारकों का अनुमोदन; और

ए।

बी।

शर्तें जो समय-समय पर एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं

समय पर।

45. विनियम 15 (7) चरित्र में सुविधाजनक है। विनियमन 15 (7) इंगित करता है कि डिबेंचर ट्रस्टी निम्नलिखित के संदर्भ में आई. सी. ए. में प्रवेश कर सकता हैः

डिबेंचर धारकों की मंजूरी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की रूपरेखा। लेकिन खंड 7 अपने आप में उन तौर-तरीकों या तरीके को निर्दिष्ट नहीं करता है जिसमें डिबेंचर धारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

iv. 13 अक्टूबर 2020 का एस. ई. बी. आई. का परिपत्र और उसके बाद का कानूनी ढांचा

ए। एस. ई. बी. आई. का परिपत्रः सारांश और प्रभाव

46. एस. ई. बी. आई. परिपत्र का विषय ऋणपत्र न्यासियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का मानकीकरण है जब कोई चूक होती है। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा। परिपत्र प्रक्रिया निर्धारित करता है

प्रतिभूति को लागू करने और/या आई. सी. ए. में प्रवेश करने से बचने के लिए निवेशकों की सहमति लेने सहित इस तरह के चूक की स्थिति में डिबेंचर न्यासियों द्वारा पालन किया जाना। एस. ई. बी. आई. परिपत्र

की धारा बी निवेशकों की सहमति प्रदान करती है प्रतिभूति का प्रवर्तन और आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए। खंड बी को पूरी तरह से नीचे निकाला गया हैः

" बी. प्रतिभूति लागू करने और हस्ताक्षर करने के लिए निवेशकों की सहमति

अन्य ऋणदाताओं द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया गया, जिसे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ("आई. सी. ए".) के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि आर. बी. आई. द्वारा निर्धारित ढांचे में विस्तृत विशिष्ट शर्तों के तहत है। 5. एल. ओ. डी. आर. विनियमों के विनियम 59 में प्रावधान है कि ऋण प्रतिभूतियों की संरचना में भौतिक संशोधन निवेशकों के आवश्यक बहुमत की सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का जारीकर्ता और सूचीकरण) विनियम, 2008 ("आई. एल. डी. एस. विनियम") का विनियम 18, जो ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू होता है, ऋण प्रतिभूतियों के रोल ओवर के मामले में नोटिस देने के लिए पंद्रह दिनों की अवधि निर्धारित करता है और आगे ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर कम से कम 75 प्रतिशत धारकों से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

6. चूंकि आई. सी. ए. में समाधान योजना में ऋण प्रतिभूतियों के रोल-ओवर सहित पुनर्गठन शामिल हो सकता है, जिसके लिए निवेशकों की सहमति की आवश्यकता होती है, प्रवर्तन के लिए सहमति लेने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

प्रतिभूति और/या अंतर-लेनदार समझौते में प्रवेश करना निम्नानुसार होगाः 6.1 . डिबेंचर ट्रस्टी पंजीकृत डाक द्वारा चूक की स्थिति के 3 दिनों के भीतर निवेशकों को एक नोटिस भेजेगा।

देय या स्पीड पोस्ट/पावती देय या कूरियर या डिलीवरी के प्रमाण के साथ हैंड डिलीवरी और इसके माध्यम से भी

एक पाठ के रूप में या एक अधिसूचना के साथ ईमेल के साथ एक संलग्नक के रूप में एक पढ़ने की रसीद, और इस तरह के नोटिस के प्रेषण का प्रमाण या

ईमेल रखा जाएगा। 6.2 . नोटिस में निम्नलिखित शामिल होंगेः

6.2. 1 . सुरक्षा के प्रवर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए नकारात्मक सहमति; [2022] 15 एस. सी. आर.

6.2. 2 . आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए सकारात्मक सहमति;

6.2. 3 . वह समय अवधि जिसके भीतर सहमति प्रदान करने की आवश्यकता है, अर्थात। नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर दी जाने वाली सहमति; और

6.2. 4 . बैठक बुलाए जाने की तारीख,

6.4 . एस. ई. बी. आई. (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियम 15 (2) (बी) को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित के माध्यम से जारी ऋण प्रतिभूतियों के मामले में - सार्वजनिक निर्गम, डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) द्वारा पैरा 6.2 में भेजे गए नोटिस में पैरा 6.2 के अनुसार सहमति नहीं होगी। 1 और

सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए एक बैठक बुलाने की आवश्यकता, पैरा 6.3 के अनुसार, लागू नहीं होगी।

प्रतिभूति लागू करें या आई. सी. ए. में प्रवेश करें या जैसा कि निवेशकों की बैठक में निर्णय लिया गया है, निम्नलिखित के अधीनः 6.5. 1 . यदि अधिकांश निवेशकों ने प्रतिभूति के प्रवर्तन के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की, तो डिबेंचर

न्यासी प्रतिभूति लागू नहीं करेंगे।

6.5. 3 . प्रतिभूति के प्रवर्तन और आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में डिबेंचर ट्रस्टी निवेशकों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यदि कोई हो, तो आगे की कार्रवाई करेंगे। 6.5. 4 . डिबेंचर ट्रस्टी एक प्रतिनिधि बना सकता है।

आई. सी. ए. में भाग लेने या प्रतिभूति को लागू करने के लिए या जैसा कि बैठक में तय किया जा सकता है, निवेशकों की समिति।

6.6 . अधिकांश निवेशकों की सहमति का अर्थ होगा भारत के ऋण और विनिमय बोर्ड के मूल्य के आधार पर कम से कम 75 प्रतिशत निवेशकों का अनुमोदन।

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आई. एस. आई. एन. में बकाया ऋण और 60 प्रतिशत निवेशक

स्तर "।

47. खंड 4 में यह परिकल्पना की गई है कि 7 जून 2019 का आर. बी. आई. परिपत्र

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए तंत्र को निर्दिष्ट किया

आर. एस. आर. बी. आई. परिपत्र के संदर्भ में, ऋण प्रतिभूतियों में निवेशक जो

आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य ऋणदाताओं द्वारा वित्तीय लेनदारों से संपर्क किया जाता है।

आर विशिष्ट शब्द जो ढांचे में विस्तृत हैं जो है

आर. बी. आई. द्वारा जारी।

48. एस. ई. बी. आई. परिपत्र का खंड 6 स्वीकार करता है कि संकल्प

आई. सी. ए. में ऋण प्रतिभूति का पुनर्गठन शामिल हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह निर्दिष्ट करता हैनिवेशकों की सहमति लेने के लिए निम्न बातों का पालन किया जाना चाहिएः

सुरक्षा लागू करना; और/या

ए।

आई. सी. ए. में प्रवेश करना।

बी।

खंड 6.2 चूक की स्थिति की एक निर्दिष्ट अवधि में निवेशकों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है। नोटिस में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

प्रवर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नकारात्मक सहमति

ए।

सुरक्षा;

बी।

आईसीए पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सकारात्मक सहमति; आवश्यकता है कि सहमति दी जानी चाहिए

सी।

15 सूचना की तारीख से दिन; और

इस उद्देश्य के लिए बुलाई जाने वाली बैठक की तारीख।

डी।

डिबेंचर ट्रस्टी को सभी निवेशकों की एक बैठक बुलानी होती है।

चूक की घटना के 30 दिनों के भीतर। खंड 6.5 आदेश देता है कि डिबेंचर ट्रस्टी को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिएः

प्रतिभूति लागू करने के लिए; या

ए।

बी।

आई. सी. ए. में प्रवेश करना; या

जैसा कि निवेशकों की बैठक में निर्णय लिया गया है; कुछ शर्तों के अधीन

सी।

शर्तें अर्थात्ः

जहाँ अधिकांश निवेशकों ने अपनी राय व्यक्त की है

आई.

प्रतिभूति के प्रवर्तन के खिलाफ असहमति, प्रतिभूति डिबेंचर द्वारा लागू नहीं की जानी है

ट्रस्टी;

जहाँ अधिकांश निवेशकों ने अपनी राय व्यक्त की है

ii.

आई. सी. ए., डिबेंचर न्यासियों में प्रवेश करने की सहमति

आई. सी. ए. में प्रवेश करना होगा;

जहाँ प्रवर्तन के लिए सहमति प्राप्त नहीं होती है

iii.

प्रतिभूति या आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने पर डिबेंचर ट्रस्टी निवेशकों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

49. महत्वपूर्ण रूप से, एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 6 में "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करके अनिवार्य भाषा शामिल है जब यह प्रतिभूति को लागू करने या आई. सी. ए. में प्रवेश करने के लिए सहमति लेने और उसके बाद अपनाए जाने वाले कदमों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को बताती है। "" "" ""

यह कंपनी अधिनियम के अनुपालन में होगा,

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956,2 और एस. ई. बी. आई.

इसके तहत;

डिबेंचर ट्रस्टी आई. सी. ए. से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा यदि

सी.

समाधान योजना उन शर्तों को लागू करती है जो इसमें नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एस. सी. आर. ए. और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के साथ-साथ नियम, विनियम और

इसके तहत जारी किए गए परिपत्र;

20 " एस. सी. आर. ए. "भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी।

यदि समाधान योजना को 180 की अवधि के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया जाता है

समीक्षा अवधि की समाप्ति के दिनों से, डिबेंचर ट्रस्टी आईसीए से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा; और डिबेंचर ट्रस्टी आई. सी. ए. से बाहर निकलने और कानूनी मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

ई.

यदि समाधान योजना की शर्तों का आई. सी. ए. के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उपाय करें।

52. आर. बी. आई. परिपत्र द्वारा निर्धारित तंत्र केवल उन ऋण देने वाले संस्थानों तक ही सीमित है जो इसके दायरे में आते हैं।

खंड 3 का। इन ऋण देने वाली संस्थाओं के अलावा, डिबेंचर धारक वित्तीय लेनदारों के एक अन्य वर्ग का गठन करते हैं जिन्हें देनदार कंपनी द्वारा ऋण देय हो सकता है। डिबेंचर धारकों सहित अन्य लेनदार स्वेच्छा से अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के दायरे में ऋण के पुनर्गठन के लिए एक संविदात्मक व्यवस्था कर सकते हैं। हालाँकि, ये प्रावधान सहमति देने वाले पक्षों तक ही सीमित हैं। एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करने से पहले, आर. बी. आई. परिपत्र के खंड 3 के दायरे से बाहर आने वाले लेनदारों को बांधने की क्षमता इस आधार पर होगी -

53. हालांकि, एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी होने के बाद, डिबेंचर धारक एस. ई. बी. आई. का सहारा लेकर असंतुष्टों को बाध्य कर सकते हैं। वृत्ताकार भी। एस. ई. बी. आई. परिपत्र मांग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।

प्रत्येक परिपत्र के तहत आवश्यक बहुमत की प्रकृति। एस. बी. आई. का परिपत्र आई. एस. आई. एन. स्तर पर मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत से कम निवेशकों और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत निवेशकों की सहमति की आवश्यकता निर्धारित की गई है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र में विचार किया गया है कि [2022] 15 एस. सी. आर.

आर. बी. आई. के दायरे से बाहर रहने वाले निवेशक हो सकते हैं ऋणदाताओं ने आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया। यही कारण है कि ऋणदाताओं द्वारा आई. सी. ए. में समाधान योजना में ऋण प्रतिभूति का पुनर्गठन शामिल हो सकता है।

डिबेंचर धारकों को इसके तहत दिए गए दायित्वों और कर्तव्यों के अधीन रहते हुए लाभ होगा। डिबेंचर धारक आई. सी. ए. में प्रवेश करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिस स्थिति में वे इसके प्रावधानों या आई. सी. ए. के तहत प्रवेश की गई समाधान योजना द्वारा शासित नहीं होंगे। लेकिन डिबेंचर धारकों के पूरे वर्ग को बांधने के लिए, आई. सी. ए. में प्रवेश करने के निर्णय को निर्धारित बहुमत द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित है। असहमति को बांधने की क्षमता डिबेंचर धारक या जो अनुपस्थित रहते हैं, वे सटीक रूप से इस बात पर सशर्त होते हैं कि आई. सी. ए. में प्रवेश करने का निर्णय आवश्यक बहुमत द्वारा समर्थित है या नहीं। खंड 6.5 के संदर्भ में आई. सी. ए. में प्रवेश करने के लिए अधिकांश निवेशकों द्वारा व्यक्त सहमति के अभाव में। 2 डिबेंचर ट्रस्टी के पास आई. सी. ए. में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिस स्थिति में ट्रस्टी निवेशकों की बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में ऐसी आगे की कार्रवाई करेगा। हालाँकि, इस तरह की आगे की कार्रवाई असहमत डिबेंचर धारकों को बांधने की क्षमता को नहीं समझेगी। असहमति रखने वालों को बाध्य किया जा सकता है

केवल तभी जब खंड 6 में परिभाषित अपेक्षित बहुमत अपनी सहमति व्यक्त करता है।

56. पुनरावृत्ति के लिए, एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समझौते या व्यवस्था की योजना के मामले में धारा 230 के दायरे में

कंपनी अधिनियम, सीमा "प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों" की है।

3 / 4 लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में। जब भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के खंड 3 के विवरण के भीतर ऋणदाताओं को नियंत्रित करने वाले समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे की बात आती है, तो कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य के हिसाब से सीमा 75 प्रतिशत और ऋणदाताओं की संख्या के हिसाब से 60 प्रतिशत है। दूसरी ओर, एस. ई. बी. आई. का परिपत्र मूल्य के आधार पर कम से कम 75 प्रतिशत निवेशकों की मंजूरी को अनिवार्य करता है।

आई. एस. आई. एन. स्तर पर बकाया ऋण और 60 प्रतिशत निवेशक। धारा 230 (6) में निर्धारित बहुमत एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समझौतों को धारा 230 के अर्थ के भीतर उन लोगों को बांधने की क्षमता में नियंत्रित करेगा जो समझौते या व्यवस्था के लिए सहमति नहीं देते हैं।

इसी तरह, भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित बढ़े हुए बहुमत का महत्व असहमत ऋणदाताओं को बाध्य करने के परिणाम में निहित है। इसी तरह, एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 6 में निर्धारित बढ़े हुए बहुमत का परिणाम असहमति रखने वाले डिबेंचर धारकों को बाध्य करना है।

बी। आईएसआईएन स्तर पर मतदान

57. प्रत्येक डिबेंचर लिखत की एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा होती है।

किसी विशेष मुद्दे से संबंधित पहचान संख्या (आईएसआईएन)। प्रत्येक आई. एस. आई. एन. एक अलग वर्ग या श्रेणी बनाता है जिसमें एक ही विशेषता होती है जैसे कि निर्गम की तारीख, अंकित मूल्य, ब्याज की दर, अधिकतम अवधि या मोचन की तारीख। विभिन्न आई. एस. आई. एन. एस. में डिबेंचरों की तुलना में ये विशेषताएं एक ही आई. एस. आई. एन. या किश्तों के भीतर सभी डिबेंचरों के लिए समरूप हैं। वर्तमान मामले में 19 आई. एस. आई. एन. संख्या वाले तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड हैं, जिसमें आई. एस. आई. एन. 3 मई 2017,23 मई 2017 और 5 फरवरी 2018 के तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड में विभाजित हैं।

58. प्रत्येक आई. एस. आई. एन. एक अलग वर्ग या श्रेणी होने के कारण, एस. ई. बी. आई

परिपत्र आदेश देता है कि मतदान आई. एस. आई. एन. के अनुसार किया जाना आवश्यक है। एस. ई. बी. आई. ने समझाया है कि यह प्रत्येक आई. एस. आई. एन. में डिबेंचर धारक पर छोड़ दिया गया है कि वह यह निर्धारित करे कि वे कैसे मतदान करना चाहते हैं और समाधान योजना को अपनाना या अस्वीकार करना चाहते हैं। एस. ई. बी. आई. ने जोर देकर कहा है कि आई. एस. आई. एन. के किसी भी व्यक्तिगत धारक को अपने बकाया के भुगतान में बाल कटवाने को स्वीकार करने से कोई नहीं रोकता है। लेकिन डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्धारित ढांचे का पालन किए बिना उन पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता है। वर्तमान मामले में, 19 आई. एस. आई. एन. नंबरों वाले तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स को निम्नलिखित तरीके से वितरित किया जाता हैः

डिबेंचर ट्रस्ट डीड-1 दिनांक 5 फरवरी 2018 में चार दस्तावेज हैं।

ए।

(4) आई. एस. आई. एन. की अनुमानित मूल राशि रु. 564.77

करोड़;

बी।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड-2 दिनांक 3 मई 2017 में नौ (9) हैं।

आई. एस. आई. एन. की अनुमानित मूल राशि रु. 1249.8

करोड़; और

डिबेंचर ट्रस्ट डीड-3 दिनांक 23 मई 2017 में छह (6) हैं।

सी.

आई. एस. आई. एन. की अनुमानित मूल राशि रु. 81.00

करोड़।

59. डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की पांचवीं अनुसूची के खंड 22 (ii) और 22 (iii) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 22. लाभप्रद स्वामी (ओं)/डिबेंचर धारक (ओं) की एक बैठक, जैसा भी मामला हो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग खंड 23 में इसके बाद निर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है।

((ii) किसी भी प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने की शक्ति।

कंपनी और लाभकारी मालिकों के बीच किया जाना /

डिबेंचर धारक।

(iii) लाभकारी स्वामी (ओं)/डिबेंचर धारक (ओं) के किसी भी अधिकार के किसी भी संशोधन, परिवर्तन या निरसन को मंजूरी देने की शक्ति, जैसा भी मामला कंपनी के खिलाफ या बंधक परिसर या अन्य संपत्तियों के खिलाफ हो सकता है, चाहे वह अधिकार न्यास विलेख या डिबेंचर के तहत या अन्यथा उत्पन्न हो।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की पांचवीं अनुसूची के खंड 23 में इस प्रकार प्रावधान किया गया हैः

" इसके खंड 22 में निर्धारित शक्तियों का उपयोग हितकारी स्वामी (ओं)/डिबेंचर धारक (ओं) की बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा, जैसा कि मामला विधिवत आयोजित किया जा सकता है और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाएगा और हाथ दिखाने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों के कम से कम तीन-चौथाई से युक्त बहुमत द्वारा किया जाएगा या यदि ऐसे मतदान पर डाले गए मतों के मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत द्वारा मतदान की मांग की जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को इसके बाद "विशेष प्रस्ताव" कहा जाता है।

60. सभी डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स को आर. बी. आई. परिपत्र से पहले निष्पादित किया गया था। खंड 22 (ii) प्रस्तावित समझौते पर मतदान से संबंधित है।

जारीकर्ता कंपनी और डिबेंचर धारक के बीच किया जाना। ऋणदाताओं के नेतृत्व में एक समाधान योजना के संदर्भ में एक ऋणदाता कंपनी में कदम रखने वाले तीसरे पक्ष के समाधान आवेदक की अवधारणा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के साथ आई। डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स जो पहले समय पर होते हैं, वे कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते के संदर्भ में होने चाहिए। इसलिए खंड 22 (ii) और 23 को विशेष बहुमत की आवश्यकता पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। आर. बी. आई. या एस. ई. बी. आई. के परिपत्रों द्वारा निर्धारित।

सी। एस. ई. बी. आई. परिपत्र का एक वैधानिक चरित्र है।
61. शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. ई. बी. आई. का परिपत्र जारी किया गया है।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1993 विनियमों, भारत के प्रतिभूति और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रदत्त।

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम 2008 प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए ताकि प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और प्रतिभूति बाजार का विनियमन। 21 अब इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि आई. सी. ए. जिसे एस. ई. बी. आई. परिपत्र में संदर्भित किया गया है, वह आई. सी. ए. है जो आर. बी. आई. परिपत्र में प्रदान किया गया है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 4 से संकेत मिलता है कि ऋण प्रतिभूति में निवेशक जो वित्तीय लेनदार हैं, उनसे अन्य ऋणदाताओं द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया जाता है, जिसका नाम आई. सी. ए. है जो "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ढांचे में विस्तृत विशिष्ट शर्तों के तहत" है। इसके अलावा, 1993 के विनियमों का विनियम 15 (7) डिबेंचर न्यासी को सक्षम करने की शक्ति प्रदान करता है, जो डिबेंचर धारकों की मंजूरी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट ढांचे के तहत प्रदान किए गए आईसीए में प्रवेश करने के लिए SEBI द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में, RBI ने स्पष्ट किया किः

" 8. यह देखते हुए कि आईसीए के बीच एक संविदात्मक समझौता है

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क अधिनियम, 1949 के प्रावधान इस प्रकार हैंः

केवल आर. बी. आई.-विनियमित ऋणदाताओं के लिए अनिवार्य। ये शक्तियाँ करती हैं

भारतीय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)। " 9. साथ ही, उधारकर्ता के अन्य लेनदार स्वेच्छा से कर सकते हैं

आई. सी. ए. का एक पक्ष बनने के लिए सहमत हैं क्योंकि यह अंततः एक अनुबंध है।

वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, ऐसे लेनदारों द्वारा आईसीए पर हस्ताक्षर वे अपने संबंधित नियामकों से अनुमति के अधीन हो सकते हैं। में।

21 खंड 9, एस. ई. बी. आई. परिपत्रः " 9. यह परिपत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 2 ए के प्रावधानों के साथ पढ़ने के लिए एस. ई. बी. आई. को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

(डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 का विनियम 31 (1) और विनियम 101 (1) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए।

इस संबंध में, यह ध्यान रखना उचित है कि 13 अक्टूबर, 2020 के परिपत्र 'एस. ई. बी. आई./एच. ओ./एम. आई. आर. एस. डी./सी. आर. ए. डी. टी./सी. आई. आर./पी./2020/203' के माध्यम से एस. ई. बी. आई. ने उन शर्तों को निर्धारित किया है जिनके तहत ऋणपत्र न्यासियों ने

प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत आईसीए पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

62. उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की घोषित स्थिति थी

कि -

दबाव के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा

ए।

आर. बी. आई. परिपत्र में तैयार की गई परिसंपत्तियां आर. बी. आई. अधिनियम 1934 और बैंकिंग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही थीं।

विनियमन अधिनियम 1949;

बी।

विवेकपूर्ण ढांचे के प्रावधान अनिवार्य हैं।

केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित ऋणदाताओं के लिए;

आर. बी. आई. की शक्तियां उधारकर्ता के अन्य लेनदारों तक नहीं फैली हुई हैं।

सी।

जैसे डिबेंचर धारक जो मुख्य रूप से द्वारा विनियमित होते हैं

एस. बी. आई.;

उधारकर्ता के अन्य लेनदार स्वेच्छा से सहमत हो सकते हैं

डी।

आई. सी. ए. क्योंकि यह लेनदारों के बीच एक अनुबंध है;

ई. जहाँ अन्य लेनदारों को एक विशिष्ट ऋणदाता द्वारा विनियमित किया जाता है।

ए।

वित्तीय क्षेत्र के नियामक जैसे कि एस. ई. बी. आई., ऐसे लेनदारों द्वारा आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने की अनुमति इस प्रकार होगी -

संबंधित नियामक; और

इस पृष्ठभूमि में, एस. ई. बी. आई. ने निम्नलिखित शर्तें निर्धारित कीं:

एफ.

कौन से डिबेंचर ट्रस्टी एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करके विवेकपूर्ण ढांचे के तहत आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने हलफनामे के उपरोक्त अंश में स्पष्ट किया है कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान अंततः देनदार और लेनदार के बीच और समाधान के तहत उधारकर्ता के विभिन्न लेनदारों के बीच वाणिज्यिक बातचीत का एक कार्य है।

एफ. विश्लेषण

63. आर. सी. एफ. एल. का मामला है कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र केवल तभी लागू होता है जब

डिबेंचर धारक आर. बी. आई. परिपत्र के तहत आई. सी. ए. में प्रवेश करने का विकल्प चुनते हैं। आर. सी. एफ. एल. के अनुसार, डिबेंचर धारकों के लिए यह विकल्प खुला है कि वे ऐसा न करें।

आई. सी. ए. में प्रवेश लें। इसके बजाय, वे एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकते हैं जिसे ऋणदाताओं ने एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित तौर-तरीकों से स्वतंत्र रूप से तैयार किया है। यह तर्क दिया जाता है कि यह मार्ग डिबेंचर धारकों को भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v की अनुमति देता है।

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

समाधान योजनाओं को उनके हितों के आधार पर अनुमोदित या अस्वीकार करना।

उचित रूप से गणना की जाती है। यह आग्रह किया गया है कि यह एक आई. सी. ए. में प्रवेश करने के लिए बेहतर हो सकता है, जहां डिबेंचर धारक खुद को ऋणदाताओं की दया पर पा सकते हैं (जो अधिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

समाधान योजना तैयार करना, या तो उनकी संख्या के कारण या उनके ऋण के मूल्य के कारण या दोनों के कारण)। यह तर्क दिया गया है कि ऋणपत्र धारकों को परिणामस्वरूप एक समाधान योजना का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो उनके हितों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार नहीं है। इसलिए, प्रस्तुतिकरण के अनुसार, वे आई. सी. ए. से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं और इसके बजाय समाधान योजना के कार्यान्वयन के चरण में ऋण के पुनर्गठन को मंजूरी या अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि यह तर्क पहली बार में आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह निकट निरीक्षण के लिए रास्ता देता है। हम प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, इसके कारण नीचे दिए गए हैं:

आई. दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है

64. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (मूल पक्ष में) के समक्ष मुकदमे में भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग करने की मांग की गई थी।

अवैध और अति अधिकार के रूप में परिपत्र। आर. सी. एफ. एल., बैंक ऑफ बड़ौदा और आर. बी. आई. को आर. बी. आई. परिपत्र को लागू करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा भी मांगी गई थी।

65. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 वाई में कहा गया है कि किसी भी दीवानी अदालत को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत नियुक्त एक न्यायनिर्णायक अधिकारी को निर्धारित करने का अधिकार है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-I में यह प्रावधान है कि धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 ईए, 15 ईबी, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 15 एचए, 15 एचबी के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-1 में उल्लिखित धाराओं में से कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं करेगी।

वादी द्वारा पहली बार में मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी पर अधिकार क्षेत्र। इसलिए, धारा 15 वाई में प्रतिबंध वर्तमान मामले में मुकदमे के खिलाफ काम नहीं करेगा।

66. इसी तरह, कंपनी अधिनियम की धारा 430 में यह प्रावधान है कि किसी भी दीवानी अदालत को इस संबंध में किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा -

कोई भी मामला जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारित करने के लिए सशक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को आर. बी. आई. परिपत्र को चुनौती देने पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है। इसलिए, धारा 430 में प्रतिबंध आकर्षित नहीं होता है।

67. बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (पहली बार में) के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ

मुकदमे की विषय वस्तु पर उचित रूप से अधिकारिता का प्रयोग किया। ii. यदि डिबेंचर धारक एक समाधान योजना को लागू करना चाहते हैं जिसमें ऋणदाता एक पक्ष हैं तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू होता है।

68. यह निस्संदेह सच है कि एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करना ही जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने का एकमात्र मार्ग है। चूक की घटना के अनुसार आई. सी. ए. को अनिवार्य करने वाले खंड की अनुपस्थिति के अलावा, खंड 6.5। 3 एस. ई. बी. आई. परिपत्र यह मानता है कि डिबेंचर धारक (डिबेंचर न्यासियों के माध्यम से) एस. ई. बी. आई. परिपत्र में विचार किए गए कार्यों के अलावा भी कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि, यदि डिबेंचर धारक एक समाधान योजना को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, जिसमें ऋणदाता पक्षकार हैं, तो उन्हें एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में ऐसा करना चाहिए।

69. आर. बी. आई. परिपत्र के खंड 9 में कहा गया है कि ऋणदाताओं को 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता के खातों की समीक्षा करनी होगी।

डिफ़ॉल्ट की तारीख, जिसके दौरान वे समाधान रणनीति पर निर्णय ले सकते हैं। ऋणदाता मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत उनके लिए उपलब्ध किसी भी समाधान रणनीति का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें (i) समाधान योजना में प्रवेश करना; या (ii) वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना; या (iii) दिवालियापन शामिल है। यदि ऋणदाता एक समाधान योजना को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आर. बी. आई. परिपत्र के खंड 10 के संदर्भ में आई. सी. ए. में प्रवेश करें। एक आई. सी. ए. का अस्तित्व जो आर. बी. आई. परिपत्र के अनुपालन में है, एक समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

70. आर. बी. आई. परिपत्र जारी होने के बाद, सभी लेनदार निम्नलिखित कार्रवाई के पाठ्यक्रमों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं:

ए। सुरक्षा को लागू करें;

बी। आईबीसी के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करें;

सी। देय धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करें;

इसके अलावा, ऋणदाता आर. बी. आई. परिपत्र (अन्य ऋणदाताओं के साथ) के संदर्भ में समाधान योजना को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं। डिबेंचर धारक कंपनी अधिनियम की धारा 230 (किसी अन्य लेनदार के साथ) के तहत एक व्यवस्था या योजना में प्रवेश कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि लेनदार इस पैराग्राफ में विस्तृत विकल्पों के अलावा कानून में उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

71. जैसा कि 'ऋणदाताओं' की परिभाषा से स्पष्ट है, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र

डिबेंचर धारकों पर लागू नहीं होता था। डिबेंचर धारकों को कंपनी अधिनियम की धारा 230 द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा। हालांकि, डिबेंचर धारकों के लिए उपलब्ध विकल्प एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी होने के साथ बढ़ गए। एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में निम्नलिखित के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

ए। सुरक्षा लागू करने से बचना; और

बी। आई. सी. ए. में प्रवेश करना।

72. आर. बी. आई. के संदर्भ में एस. ई. बी. आई. का परिपत्र जारी किया गया था।

सर्कुलर; यह एक स्वतंत्र आई. सी. ए. या समाधान योजना के निष्पादन के लिए शर्तों को निर्दिष्ट नहीं करता है जो आई. सी. ए. और आर. बी. आई. सर्कुलर के तहत समाधान योजना से अलग है। आर. बी. आई. परिपत्र और एस. ई. बी. आई. परिपत्र दोनों एक ही आई. सी. ए. और समाधान योजना का उल्लेख करते हैं। यह एस. ई. बी. आई. परिपत्र के खंड 4 से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है:

" भारतीय रिजर्व बैंक ("आर. बी. आई".) ने जून के परिपत्र के माध्यम से

07 , 2019 भारतीय रिजर्व बैंक (विवेकपूर्ण ढांचा)

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए) निर्देश 2019

अन्य रूप से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए तंत्र निर्दिष्ट किया गया ऋणदाता। इसके संदर्भ में, ऋण प्रतिभूतियों में निवेशक,

वित्तीय लेनदारों से, अन्य ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया जाता है समझौता; अंतर ऋणदाता समझौते के रूप में संदर्भित

(" आई. सी. ए. "), ढांचे में विस्तृत विशिष्ट शब्दों के तहत जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, 1993 के विनियमों के विनियम 15 (7) से संबंधित है -

डिबेंचर न्यासियों के कर्तव्य। यह प्रदान करता है:

" डिबेंचर धारकों के अनुमोदन और शर्तों के अधीन

जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऋणपत्र न्यासी, डिबेंचर धारकों की ओर से, हस्तक्षेप कर सकते हैं।

ढांचे के तहत प्रदान किए गए लेनदार समझौते

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट। ”

(जोर दिया गया)

73. एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करके, एस. ई. बी. आई. ने समग्र रूप से सदस्यता ली आर. बी. आई. परिपत्र की रूपरेखा और ऋणपत्र धारकों को आर. बी. आई. परिपत्र में निर्दिष्ट प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई समाधान योजना। आर. बी. आई. परिपत्र के तहत, समाधान योजना [2022] 15 एस. सी. आर. नहीं हो सकती।

आई. सी. ए. के बिना अस्तित्व में आए। एस. ई. बी. आई. का परिपत्र इस स्थिति को बाधित नहीं करता है। जब एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू हुआ, तो उसने उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जिनके तहत डिबेंचर धारक (डिबेंचर न्यासियों के माध्यम से) इस समाधान योजना तक पहुंच सकते हैं और आई. सी. ए. के माध्यम से इसके निर्माण में भाग ले सकते हैं।

74. यह तर्क देते हुए कि पाँचवीं अनुसूची के खंड 22 और 23

डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) का संबंध आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर करने या सामान्य रूप से एस. ई. बी. आई. परिपत्र की विषय वस्तु से नहीं है, आर. सी. एफ. एल. सुझाव दे रहा है कि आई. सी. ए. और समाधान योजना अलग और अलग करने योग्य हैं। इसका निहितार्थ यह है कि डिबेंचर धारक समाधान योजना को तैयार करने के बाद आई. सी. ए. के साथ खुद को संबंधित किए बिना इसका विकल्प चुन सकते हैं। यह विचाराधीन परिपत्रों की गलत व्याख्या है। आई. सी. ए. और समाधान योजना अटूट रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और उत्तरार्द्ध की उत्पत्ति पूर्व में है, और इससे प्रवाहित होती है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र भी खंड 6 में इस तथ्य को मान्यता देता है, जिसमें कहा गया हैः

" चूंकि आई. सी. ए. में समाधान योजना में पुनर्गठन शामिल हो सकता है ऋण प्रतिभूतियों के रोल-ओवर सहित, जिसकी सहमति की आवश्यकता होती है

निवेशक, सहमति लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

प्रतिभूति का प्रवर्तन और/या अंतर-लेनदार में प्रवेश

समझौता निम्नानुसार होगा।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, खंड 7 के बीच परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है

आई. सी. ए. और समाधान योजनाः

" डिबेंचर ट्रस्टी आईसीए पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं

निम्नलिखित शर्तों के साथः

7.1 आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर और प्रस्ताव पर सहमति

योजना निवेशकों के हित में और इसके अनुपालन में है

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, प्रतिभूतियाँ

अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड अधिनियम, 1992 और नियम, विनियम और परिपत्र

समय-समय पर इसके तहत जारी किया जाता है।

7.2 . यदि समाधान योजना शर्तों को लागू करती है

डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) जो के अनुसार नहीं हैं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम,

प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और भारत का प्रतिभूति सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और नियम, विनियम और समय-समय पर इसके तहत जारी किए गए परिपत्र, फिर

डिबेंचर ट्रस्टी आईसीए से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होंगे। समान अधिकार जैसे कि उसने कभी आई. सी. ए. पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनके तहत

परिस्थितियों में, समाधान योजना बाध्यकारी नहीं होगी

डिबेंचर ट्रस्टी (ओं)।

7.3 . समाधान योजना को 180 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।

समीक्षा अवधि के अंत से। यदि समाधान योजना नहीं है

समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया गया, फिर

डिबेंचर ट्रस्टी आईसीए से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होंगे।

समाधान योजना डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) पर बाध्यकारी नहीं होगी। हालाँकि, यदि समाधान योजना को अंतिम रूप दिया जाता है तो यह आगे भी बढ़ता है।

180 दिन, डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) एक विस्तार के लिए सहमति दे सकते हैं

180 दिनों के बाद निवेशकों की मंजूरी के अधीन

कुल समयरेखा। कुल समय सीमा 365 दिनों से अधिक नहीं होगी।

समीक्षा अवधि शुरू होने की तारीख से।

7.4 . यदि अनुमोदित समाधान योजना की किसी भी शर्त पर

आई. सी. ए. के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया,

डिबेंचर ट्रस्टी आई. सी. ए. से बाहर निकलने और आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उचित कानूनी उपाय या कोई अन्य कार्रवाई जो उचित समझी जाए

निवेशकों का हित।

(जोर दिया गया)

इसलिए, एस. ई. बी. आई. परिपत्र में आई. सी. ए. का कोई भी संदर्भ भी है

अनिवार्य रूप से समाधान योजना का संदर्भ और इसके विपरीत। आई. सी. ए. के माध्यम से इसकी उत्पत्ति में शामिल हुए बिना समाधान योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए डिबेंचर धारकों के लिए यह खुला

नहीं है। कहने के लिए केवल एक ही "द्वार" है, जिसके माध्यम से डिबेंचर धारक ऋणदाताओं के साथ समाधान योजना में प्रवेश कर सकते हैं और वह आईसीए के माध्यम से है। इसलिए, जबकि एस. ई. बी. आई. परिपत्र अनिवार्य नहीं करता है

जारीकर्ता कंपनी के साथ समझौता करने के एकमात्र मार्ग के रूप में आई. सी. ए. का निष्पादन, यह उस स्थिति में एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जब डिबेंचर धारक ऋणदाताओं के साथ समाधान योजना को लागू करने का मार्ग चुनते हैं। इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है।

75. एस. ई. बी. आई. परिपत्र का उद्देश्य कई गुना है-न केवल

यह बड़े पैमाने पर डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करता है (खंड 7), लेकिन यह किसी भी असहमत डिबेंचर धारकों के हितों की भी रक्षा करता है (खंड [2022] 15 एस. सी. आर.

" निवेशकों के हित में या यदि समीक्षा अवधि समाप्त होने के 180 दिनों के भीतर समाधान योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। 23 यह निर्विवाद है कि इन दोनों स्थितियों में डिबेंचर धारकों को भारी कठिनाई होगी। महत्वपूर्ण रूप से, खंड 6 की अनुपस्थिति का मतलब यह हो सकता है कि असहमत डिबेंचर धारक साधारण बहुमत के माध्यम से भी लिए गए निर्णयों से बाध्य होंगे। जबकि पाँचवीं अनुसूची का खंड 23 डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) के लिए इस मामले में 75 प्रतिशत के बहुमत का प्रावधान है, अन्य डिबेंचर ट्रस्ट डीड (ओं) एक साधारण बहुमत प्रदान कर सकते हैं। असहमत डिबेंचर धारक तब इसका लाभ उठाने में असमर्थ होंगे

उन्हें एस. ई. बी. आई. परिपत्र द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण।

यह इस तथ्य की मान्यता में है कि डिबेंचर धारक समाधान योजना के निष्पादन के अलावा अन्य तंत्रों के माध्यम से अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। भाषा को समाधान योजना को स्वीकार करते समय डिबेंचर धारकों को एस. ई. बी. आई. परिपत्र द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों को पारित करने का विकल्प प्रदान करने के अर्थ में सुविधाजनक नहीं माना जा सकता है। आई. सी. ए. समाधान योजना के लिए आधार या मूल दस्तावेज बना हुआ है। iii. असहमति रखने वाले आई. एस. आई. एन. स्तर के डिबेंचर धारक आई. सी. ए./समाधान योजना से बाध्य हैं।

77. आई. सी. ए. में प्रवेश करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आई. एस. आई. एन. स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत निवेशकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। आर. सी. एफ. एल. ने तर्क दिया है कि आई. एस. आई. एन. स्तर का मतदान संभावित रूप से एक समाधान योजना को विफल कर सकता है। चिंता की बात यह है कि

एक एकल डिबेंचर धारक जिसके पास एक संपूर्ण आई. एस. आई. एन. (या एक से अधिक आई. एस. आई. एन.) है, वह लेनदारों को आई. सी. ए./ए. संकल्प पर पहुंचने से रोक सकता है। योजना बनाएँ, विशेष रूप से इस प्रक्रिया से उनके "बाहर निकलने" के प्रावधान के अभाव में। जवाब में, SEBI ने तर्क दिया है कि जारीकर्ता कंपनी कर सकती है

" प्रतिभूति के आकार को आनुपातिक रूप से कम करके और इसे इस हद तक जारी करके समायोजित करें कि डिबेंचर धारक आई. सी. ए./समाधान योजना से सहमत हों। ये दोनों तर्क मामले के सार से चूक जाते हैं।

22 खंड 1, एस. ई. बी. आई. परिपत्र 23 खंड 3, एस. ई. बी. आई. परिपत्र सुरक्षा और भारत का विनिमय बोर्ड v.

राजकुमार नागपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

78. असहमति रखने वाले ऋणदाताओं के पास धारा 230 कंपनियों के संदर्भ में किए गए समझौते या व्यवस्था से "बाहर निकलने" का विकल्प नहीं है। इसी तरह, असहमति रखने वाले ऋणदाताओं के पास भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के तहत आईसीए/समाधान योजना से "बाहर निकलने" का विकल्प नहीं है। 25 संबंधित

इन कानूनों में से प्रत्येक में प्रदान किए गए बहुमत असहमत लेनदारों को बाध्य करते हैं। इसी तर्ज पर एस. ई. बी. आई. का परिपत्र असहमति वाले डिबेंचर को बाध्य करता है। धारकों। वास्तव में, एस. ई. बी. आई. परिपत्र अन्य कानूनों में समान प्रावधानों के अभाव में भी असहमत डिबेंचर धारकों को बाध्य कर सकता है।

79. यह तर्क कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू नहीं है क्योंकि एक एकल डिबेंचर धारक समाधान योजना को विफल करने में सक्षम होगा

एक परिणामी। इस तरह की चिंता के आधार पर परिपत्र की प्रयोज्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है। हमें इस पहलू पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एस. ई. बी. आई. परिपत्र को कोई चुनौती नहीं दी गई है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि संबंधित हितधारकों के लिए यह खुला है कि वे किसी भी चिंता, वाणिज्यिक या अन्यथा के साथ एस. ई. बी. आई. से संपर्क कर सकते हैं और एस. ई. बी. आई. परिपत्र में संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। एक सांविधिक नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. हमेशा ऐसी चिंताओं को देख सकता है और यदि वह सार्वजनिक हित में और प्रतिभूतियों के बाजार के व्यवस्थित संचालन के लिए ऐसा करना उचित समझता है तो उसे ध्यान में रखने की शक्ति रखता है।

iv. एस. ई. बी. आई. परिपत्र का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है।

80. विद्वान वरिष्ठ वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने तर्क दिया है कि एस. ई. बी. आई. का परिपत्र पूर्वव्यापी है।

और लाभकारी स्वामी/डिबेंचर धारक। यह मंजूरी "मतदान करने वाले व्यक्तियों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत से अधिकृत की जा सकती है. या यदि मतदान की मांग की जाती है. ऐसे मतदान पर डाले गए मतों के मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई से कम नहीं"। यह आग्रह किया गया है कि एस. ई. बी. आई. के परिपत्र ने मंजूरी देने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत की प्रकृति को बदल दिया है। 24 एन. सी. एल. टी. कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की समग्र निष्पक्षता पर गौर करेगा।

25 आर. बी. आई. परिपत्र में कहा गया है कि आई. सी. ए. असहमत ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

आईएसआईएन स्तर के 60 प्रतिशत मतों के बहुमत की आवश्यकता को लागू करके समझौता।

81. हमारा मानना है कि एस. ई. बी. आई. का परिपत्र पूर्वव्यापी है।

आवेदन। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों (पृष्ठ 583 पर 14 वां संस्करण, 2016) में कहा गया है किः

इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताएं एक समय पूर्व से खींची गई हैं यह गुजर रहा है "। यदि ऐसा नहीं था, तो प्रत्येक क़ानून को माना जाएगा।

केवल उन व्यक्तियों पर लागू होना जो पैदा हुए हैं और जो अस्तित्व में आती हैं

इसके संचालन के बाद और नियम के परिणामस्वरूप आभासी निरस्तीकरण हो सकता है अधिकांश कानूनों में से "।

(जोर दिया गया)

82. विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा, 26 इस न्यायालय ने वर्णित किया

संभावित, पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी कानूनों की प्रकृतिः

" 61. संभावित कानून अपनी तिथि से संचालित होता है।

नए अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम। पूर्वव्यापी क़ानून

पीछे की ओर काम करता है और निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है

पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है। हालांकि, इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है जो पहले उत्पन्न हुई थी।

विशेषता या घटना जो अतीत में हुई या आवश्यकताएँ

जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थी।

83. 'पूर्वव्यापी' और 'पूर्वव्यापी' शब्दों का अक्सर उपयोग किया जाता है।

अदला-बदली से। हालाँकि, उनके अर्थ अलग हैं। यह न्यायालय

स्टेट बैंक के कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) v में इन अवधारणाओं के बीच के अंतर की संक्षेप में सराहना की गई। भारत संघः 27

" " 'रेट्रोएक्टिविटी' एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर वकीलों द्वारा किया जाता है लेकिन शायद ही कभी परिभाषित किया जाता है।

विश्लेषण पर यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है, इसके अलावा, कि इसका उपयोग किया जाता है

कम से कम दो अलग-अलग अवधारणाओं को शामिल करें। पहला, जिसे कहा जा सकता है

' वास्तविक पूर्व सक्रियता ', कानून के एक नए नियम के अनुप्रयोग में शामिल है

एक अधिनियम या लेन-देन जो नियम से पहले पूरा किया गया था

घोषित किया गया। दूसरी अवधारणा, जिसे संदर्भित किया जाएगा

' अर्ध-पूर्व सक्रियता ', तब होती है जब कानून का एक नया नियम लागू किया जाता है

27 (2005) 7 एस. सी. सी. 584 भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पूरा होने की प्रक्रिया में एक कार्य या लेनदेन। इन अवधारणाओं की नींव पूर्ण और लंबित के बीच का अंतर है।

लेनदेन "। (
टी. सी. हार्टले, यूरोपीय सामुदायिक कानून की नींव 129

(1981) "

इस न्यायालय के कई निर्णय 'पूर्व सक्रियता' को उन कानूनों के रूप में परिभाषित करते हैं जो निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करते हैं। वास्तविक शब्दों में, यह 'पूर्वव्यापीता' या 'वास्तविक पूर्वव्यापीता' की परिभाषा है। दूसरी ओर अर्ध-पूर्व सक्रियता 'या बस' पूर्व सक्रियता 'एक ऐसा कानून है जो एक अधिनियम या लेनदेन पर लागू होता है जो अभी भी चल रहा है। ऐसा कोई अधिनियम या लेन-देन पूरा नहीं हुआ है और पूरा होने की प्रक्रिया में है। प्रतिगामी कानून उन जगहों पर भी लागू होते हैं जहां कानून के पारित होने से पहले किसी चीज़ या स्थिति की स्थिति या चरित्र उत्पन्न हुआ था। केवल इसलिए कि कोई कानून कुछ परिस्थितियों पर काम करता है जो इसके पारित होने से पहले की हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है।

84. वर्तमान मामले में, आर. सी. एफ. एल. ने ऋणपत्र जारी किए और ऋणपत्र जारी करने से पहले ऋणपत्र धारकों को भुगतान करने में चूक की। एस. ई. बी. आई. परिपत्र। हालाँकि, 13 अक्टूबर 2020 तक (जिस तारीख को एस. ई. बी. आई. परिपत्र लागू हुआ), इस पर एक समझौता या समझौता

आर. सी. एफ. एल. द्वारा देय ऋण का पुनर्गठन मौजूद नहीं था। आर. सी. एफ. एल. के ऋण के समाधान के संबंध में डिबेंचर धारकों के पास कोई अधिकार नहीं थे। ऋण का अस्तित्व और आर. सी. एफ. एल. द्वारा बाद में चूक घटनाओं की स्थिति थी, जो 13 अक्टूबर 2020 से पहले मौजूद थी। एक बार जब यह लागू हो गया, तो एस. ई. बी. आई. परिपत्र ऋण के समाधान के तरीके पर लागू हुआ, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। 85. यहां तक कि यह मानते हुए कि डिबेंचर धारकों को विशेष समझौते के संदर्भ में समझौता या व्यवस्था को मंजूरी देने का अधिकार निहित था

डिबेंचर ट्रस्ट डीड की पांचवीं अनुसूची के खंड 23 में बहुमत, उन्हें एस. ई. बी. आई. परिपत्र जारी करने पर इस तरह के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के खंड 59 में कहा गया है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो 1993 के विनियमों के साथ टकराव में है, अमान्य है। ऐसा करने में, यह डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत अधिकारों के विनिवेश के लिए एक ट्रिगर निर्धारित करता है। संविदात्मक रूप से निहित अधिकार

एक सांविधिक लिखत के संचालन द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, एस. ई. बी. आई. परिपत्र का अस्तित्व निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूतियों के लिए बाजार के स्थिर और व्यवस्थित विकास और विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित एक विशेष कानून द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्तियों के कारण है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

86. एस. ई. बी. आई. का परिपत्र आंशिक रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

1993 के विनियमों के तहत। 28 इसके अलावा, 1993 के विनियमों का विनियम 15 (7) एस. ई. बी. आई. परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों की नींव रखता है। इस प्रकार, खंड 59 में "[1993 विनियमों के प्रावधानों" वाक्यांश को एस. ई. बी. आई. परिपत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्ट डीड की पांचवीं अनुसूची के खंड 22 और 23 स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी हैं।

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के साथ क्योंकि वे प्रत्येक अलग-अलग मतदान के लिए प्रदान करते हैं।

तंत्र। इसलिए, खंड 22 और 23 को एस. ई. बी. आई. परिपत्र को रास्ता देना चाहिए, जो प्राथमिकता लेगा।

वी. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग

संविधान

87. समाधान योजना की वर्तमान योजना के तहत, खुदरा

आई. एन. आर. 10 लाख तक का जोखिम रखने वाले डिबेंचर धारकों को अपने मूल बकाया का 100% प्राप्त होगा। 10 लाख रुपये से अधिक के जोखिम वाले सुरक्षित खुदरा डिबेंचर धारकों को इसका एहसास होगा।

29.69 % . वितरण को दिखाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

पुनर्प्राप्ति

पुनर्प्राप्ति

एक्सपोज़र

विशिष्टताएँ

गिनती करें।

(आईएनआर)

(आईएनआर में)

(% में)

सुरक्षित व्यक्ति और एचयूएफ

227

13.92 करोड़

13.93

करोड़

100

डिबेंचर धारक (10 रुपये तक) लाख)

सुरक्षित व्यक्ति और एचयूएफ

37

43.95 करोड़

13.17

करोड़ 29.96

डिबेंचर धारक (10 से अधिक)

लाख)

1, 556.70

388.55

करोड़ 24.96

अन्य सुरक्षित डिबेंचर धारक

42

करोड़

21

16.46

करोड़

असुरक्षित ऋणपत्र धारक

81 करोड़

20.32

संबंधित पार्टी

1

200 करोड़

26.90

करोड़ 13.45

कुल

328

1,896 करोड़

88. उपरोक्त तालिका इस बात पर प्रकाश डालती है कि छोटे निवेशक, विशेष रूप से वे जो

जिनका निवेश 10 लाख रुपये तक है, वे अपनी मूल राशि के 100% की सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं। यहां तक कि जिन डिबेंचर धारकों का एक्सपोजर 10 लाख से अधिक है, वे भी अपनी मूल राशि का 29.96% प्राप्त कर रहे हैं। इसकी तुलना में, सुरक्षित आई. सी. ए. ऋणदाताओं को उनका 24.96% प्राप्त होगा।

मूलधन राशि, जो डिबेंचर द्वारा की गई वसूली से कम है

28 खंड 9, भारत का एस. ई. बी. आई. परिपत्र सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारकों। यह भी रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी डिबेंचर धारक ने प्रस्तावित समझौते के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है। ऐसी स्थिति में, एस. ई. बी. आई. परिपत्र का आवेदन, हालांकि कानून में सही है, खुदरा डिबेंचर धारकों के लिए अन्यायपूर्ण परिणाम का कारण बन सकता है यदि इस अदालत ने इस मामले में हुई पूरी कार्रवाई को उलट दिया है। वर्तमान मामला।

89. एस. ई. बी. आई. के तहत प्रस्तावित विभिन्न मतदान तंत्र

परिपत्र समाधान प्रक्रिया में और देरी करेगा और संभावित रूप से बाधित करेगा

खुदरा ऋणपत्र धारकों सहित हितधारकों द्वारा किए गए प्रयास। समाधान प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ी न केवल साबित होगी समय लेने वाला, लेकिन खुदरा डिबेंचर धारकों के लिए सहमत प्राप्त लाभ को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष बातचीत के समझौते के लिए सहमति दे चुके हैं।

90. किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह

न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को ध्यान में रखते हुए, अधिकारों के संभावित इनकार को कम करने के लिए उपयुक्त निर्देश निर्धारित कर सकता है।

91. राज्य में अपने निर्णय में v. कल्याण सिंह 29 इस न्यायालय ने टिप्पणी की

कि अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कानून की कठोरता को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह देखा गयाः

" 22. [.....] यह लेख पूरा करने के लिए एक बहुत व्यापक शक्ति देता है

न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को न्याय, एक शक्ति जो

उच्चतम न्यायालय क्योंकि उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंततः होगा पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि

यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून होगा भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। अतः प्रत्येक

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दो घटक हैं

घोषित विधि जो व्यक्तियों के बीच भविष्य में मुकदमेबाजी में न्यायालयों को बाध्य करती है, और किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करना जो उसके समक्ष लंबित है। वास्तव में, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो अपने शीर्ष पर इक्विटी के अधिकतम मानकों में से एक को बदल देता है, अर्थात्, इक्विटी कानून का पालन करती है। अनुच्छेद 142 द्वारा, जैसा कि पंजाब राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है। रफीक मसीह (2014) 8 एस. सी. सी. 883: (2014) 4 एससीसी (सी. आई. वी.)

657 : (2014) 6 एससीसी (सीआरआई) 154: (2014) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 134] निर्णय,

समानता को कानून से अधिक प्राथमिकता दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है।

ऐसी इक्विटी जो अनिवार्य मूल की अवहेलना कर सकती है

पक्षकारों को कानून लागू करने में ढील देने की सीमा या पक्षों को पूरी तरह से कठोरता से छूट देना

विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून

नहीं, किसी मामले में पूर्ण न्याय करने का कर्तव्य जब पाया जाता है आवश्यक है। [.....] ”

(जोर दिया गया)

92. लक्ष्मीदास मोरारजी बनाम। बेहरोज दराब मदन 3 ओ, ए श्री

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग

घ उन स्थितियों में न्यायसंगत सिद्धांतों पर आधारित होगा जहां प्रावधान

v पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। यह देखा गया:

" 25. अनुच्छेद 142 अवशिष्ट शक्ति आधारित प्रकृति का है।

न्यायसंगत सिद्धांतों पर, न्यायालयों ने यह उचित समझा है कि

अनुच्छेद के तहत शक्तियों को अनिर्धारित छोड़ दें। शक्ति के तहत

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोई आदेश पारित नहीं करेगा। जो लागू होने वाले मूल कानून को प्रतिस्थापित करने के बराबर होगा या

विषय से संबंधित व्यक्त वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए,

उसी समय ये संवैधानिक शक्तियाँ किसी भी तरह से नहीं हो सकतीं

किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित। हालांकि, यह किया जाना है स्पष्ट करें कि इस शक्ति का उपयोग लागू कानून को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है

मामले में। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 142 के तहत कार्य करते हुए, सर्वोच्च

न्यायालय कोई आदेश पारित या राहत प्रदान नहीं कर सकता है जो पूरी तरह से असंगत या मूल या वैधानिक अधिनियमों के खिलाफ जाता है

मामले से संबंधित। शक्ति का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।

जिन मामलों से प्रभावी ढंग से और उचित तरीके से निपटा नहीं जा सकता है

कानून के मौजूदा प्रावधानों द्वारा या जब मौजूदा कानून के प्रावधान पूर्ण न्याय नहीं ला सकते हैं।

दलों के बीच। ”

(जोर दिया गया)

93. वर्तमान में समझौता किया गया है, जो हितों में है

पक्षों को परेशान किया जाएगा अगर एक नई प्रक्रिया को निर्देशित किया जाता है

वर्तमान स्तर पर एस. ई. बी. आई. परिपत्र के अनुसार घेराबंदी।

09) 10 एस. सी. सी. 425 भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राजकुमार नागपाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

94. उल्लेखनीय है कि एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में केवल दो स्थितियों पर विचार किया गया है जहां आई. एस. आई. एन.-वार मतदान अनिवार्य हैः (i) प्रतिभूति का प्रवर्तन न करना; और (ii) आई. सी. ए. में प्रवेश करना। यद्यपि यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, यह स्वीकार करता है कि यह एक ऐसे परिदृश्य पर विचार नहीं करता है जहां डिबेंचर धारक दे सकते हैं।

आई. सी. ए. के लिए पूर्व कार्योत्तर सहमति, जो कि 13 अक्टूबर 2020 को एस. ई. बी. आई. परिपत्र के प्रारंभ से पहले सहमत हुई थी। वर्तमान मामले में, एस. ई. बी. आई. परिपत्र के लागू होने से एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ एक समाधान योजना बनाई जाएगी।

आर. बी. आई. फ्रेमवर्क के तहत आई. सी. ए. ऋणदाताओं द्वारा वैध रूप से सहमत होने पर इसे अलग करना होगा। इस कारण से, हम इसे आवश्यक मानते हैं

समाधान योजना को पारित करने की अनुमति देकर खुदरा डिबेंचर धारकों को अनुच्छेद 142 के तहत लाभ का विस्तार करें। हम दोहराना चाहते हैं कि यह न्यायालय वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत राहत को ढालने के निर्देश जारी कर रहा है।

ऊपर बताया गया है।

vi. वर्तमान मामले में असंतुष्ट डिबेंचर धारक

95. जैसा कि उपरोक्त अनुभागों में कहा गया है, 13 अक्टूबर 2020 के बाद, ऐसी स्थितियों में दो तंत्र हैं जहां समझौता या समाधान किया जाता है। ढूँढनाः

एस. ई. बी. आई. परिपत्र के तहत एक समझौता, जो इसके बाहर है।

ए।

एन. सी. एल. टी. की प्रक्रिया, ऋण के पुनर्गठन के लिए, असहमति रखने वाले और त्याग करने वाले डिबेंचर धारकों दोनों को बाध्य करती है;

बी।

कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता एन. सी. एल. टी. से संपर्क करना, असहमति व्यक्त करना/डिबेंचर धारकों से दूर रहना।

96. यह स्पष्ट है कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र या कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत किया गया समझौता असहमत लेनदारों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से आत्मसात करता है। एस. ई. बी. आई. परिपत्र में अधिक मतदान को अपनाया गया है।

संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत की सीमा और असहमति/बहिष्कार को बाध्य करने के लिए 75 प्रतिशत

ऋणपत्र धारक।

97. एस. ई. बी. आई. ने प्रस्तुत किया कि डिबेंचर धारक पूर्ण ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं

बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) यदि उनके ऋण का समाधान समझौता/समाधान तंत्र के तहत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि डिवीजन बेंच के निर्देश के संदर्भ में समझौता अन्य सभी डिबेंचर धारकों को भी बाध्य करेगा, जो उच्च न्यायालय के समक्ष मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं थे। इससे असंतुष्ट डिबेंचर धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें कम राशि के लिए समझौता करना होगा- मूलधन का 24.96% और [2022] 15 एस. सी. आर. का 5 प्रतिशत।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड स्तर पर समझौता हुआ सहमति देने वाले डिबेंचर धारकों को असहमत डिबेंचर धारकों को बाध्य नहीं करना चाहिए।

98. असहमत डिबेंचर धारक समाधान योजना से बाध्य होते यदि इसे इसके अनुसार अनुमोदित किया गया होता

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या आई. सी. ए. के तहत जैसा कि एस. ई. बी. आई. परिपत्र के तहत स्वीकार किया गया है। तदनुसार हम यह उचित समझते हैं कि असहमत डिबेंचर धारकों को समाधान योजना की शर्तों को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, असहमत डिबेंचर

धारकों को ऋणदाता के आई. सी. ए. के तहत बनाई गई प्रस्तावित समाधान योजना से बाहर खड़े होने और अपने हकदार बकाया की वसूली के लिए अन्य कानूनी साधनों का उपयोग करने का अधिकार है। 99. निर्णय के पाठ में बताए गए कारणों के लिए, हम उन प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं जिनका अनुरोध एस. ई. बी. आई. द्वारा किया गया है और

एस. ई. बी. आई. परिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दी गई व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऊपर जारी किए गए निर्देशों के अधीन, आंशिक रूप से अपील की अनुमति है।

100. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)